सत्यमेव जयते

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

दिशा-निर्देश

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते

संदेश

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने अपने सांसद साथियों की ओर से आपसे एक वादा किया था। मैंने अपने सपनों के ऐसे आदर्श ग्राम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जो स्वास्थ्य, साफ–सफाई, हरियाली और सामुदायिक सौहार्द के केंद्र–बिंदु हों। प्रस्तुत दिशा–निर्देश उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है और प्रत्येक संसद सदस्य के लिए आदर्श ग्राम योजना का संपूर्ण खाका प्रस्तुत करते हैं, जिसका अनुपालन करके वे अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 2016 तक एक–एक और वर्ष 2019 तक और दो–दो आदर्श ग्रामों का विकास कर सकते हैं।

मुझे महात्मा गांधी की विचारधारा से बहुत प्रेरणा मिली है। उन्हीं के पास यह समझने वाली दूरदृष्टि थी कि किसी गांव में रोशनी लाने के लिए सिर्फ बिजली के खंभों की जरूरत नहीं होती बल्कि वह सच्चा प्रकाश मूल्यों, सामुदायिक भावना को प्रेरित करने तथा उत्तम शिक्षा को बढ़ावा देने से आएगा। मेरा भी यही विश्वास है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति, एकता, आत्मविश्वास जैसे मूल्यों का विकास करना भी बुनियादी सुविधाओं के विकास जितना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में मूल्यों में इस बदलाव से वैल्यू चेन का विकास होगा; यह वैल्यू चेन प्रबंधन के क्षेत्र का शब्द है, जिसके द्वारा उन चरणों का वर्णन किया जाता है, जिनसे गुजरकर कोई कारोबार अपनी वैल्यू और दक्षता को अधिकतम स्तर तक ले जाता है।

अन्य योजनाओं से अलग इस आदर्श ग्राम योजना में लाभार्थियों को प्राप्तकर्ता और सरकार को प्रदाता नहीं माना गया है। इस योजना का उद्देश्य गाँवों को अपने विकल्पों का चुनाव करने के योग्य बनाना और उन्हें इन विकल्पों के चयन का अवसर देना है। इस योजना से दिशा मिलेगी और मुझे विश्वास है कि हमारे स्थानीय गाँव वासी अपनी मेहनत और उद्यमी कौशलों से अपना पथ प्रशस्त करेंगे।

जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मुझे अपने राज्य में एक ऐसे ही गाँव पुंसारी के विकास के लिए सहायता देने का अवसर प्राप्त हुआ था। इस गाँव पुंसारी को अक्सर देश का नंबर 1 गाँव कहा जाता है। मुझे यह देख कर बहुत खुशी होती है कि तेलंगाना में गंगादेवीपल्ली और महाराष्ट्र में हिवाड़े बाजार जैसे अन्य आदर्श गाँवों में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। मुझे आशा है कि इस योजना का कार्यान्वयन करने वाले इन गाँवों को देखकर इनसे सीख लेंगे। मेरा मानना है कि अगले कुछ वर्षों में इन आदर्श गाँवों में किए जाने वाले नए उपायों और उन की सफलता के सैकड़ों किस्से सुनने को मिलेंगे।

हमने विशेष रूप से सामुदायिक भागीदारी अर्थात् जनभागीदारी पर जोर दिया है। दरअसल इस योजना का पावन शुभारंभ इसके स्मृति चिह्न के चयन के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता से हुआ था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामवासी स्वयं अपने गाँव के विकास की योजना बनाएंगे और कार्यकलाप एवं उपलब्धि के लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

बच्चों की शिक्षा के लिए इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों जैसे कि स्मार्ट स्कूलों, ई–पुस्तकालयों, ग्रीन स्कूलों को लेकर मेरे मन में विशेष उत्साह और उत्सुकता है। हमारी युवा पीढ़ी के लिए यह बेहद जरूरी है कि उनमें महिलाओं, शहीदों और बुजुर्गों के लिए सम्मान, साफ–सफाई की अच्छी आदतें और पर्यावरण की देखरेख, पठन–पाठन की अच्छी आदतें विकसित की जाएं।

यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि मुझे ग्रामीण भारत के सपनों को पूरा करने वाली इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के दिशा–निर्देशों का विमोचन करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

11वाँ अक्टूबर 2014

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते

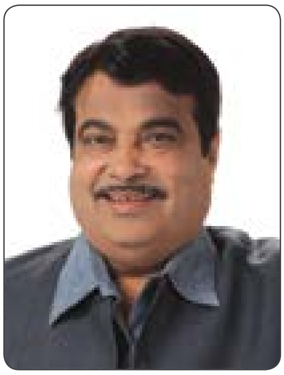

संदेश

11 अक्टूबर को श्री लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर हम गांधी जी का अनुकरण करते हुए ग्राम स्वराज की संकल्पना को सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से साकार करना चाहते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सड़कों के निर्माण और शहरी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से भारत के गाँवों तक आर्थिक अवसर पहुंचाने का संकल्प लिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अवधारणा तैयार करने के कार्य में मैं भी शामिल था। आज श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम सांसद आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से हमारे ग्रामीणों के द्वार तक विकास का अधिकार पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता और संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं।

सांसद आदर्श ग्राम योजना से ग्रामीण भारत के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण रखते हुए ग्रामीणों को स्वयं अपना भाग्य बनाने का अवसर दिया जाएगा। यह योजना इस कारण अपने आप में अनूठी और युगांतरकारी है कि इसमें सर्वांगीण विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें गाँव में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का समेकित विकास करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य न केवल वास्तविक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है बल्कि जीवन–स्तर में सुधार करना, सामाजिक पूंजी को बढ़ावा देना और सामुदायिक सौहार्द की भावना विकसित करना भी है। ये ऐसे घटक हैं, जिनसे दीर्घकालिक सकारात्मक परिवर्तन आएगा और यह परिवर्तन चिरस्थायी भी होगा।

मजबूत और पारदर्शी ग्राम पंचायतों तथा सक्रिय ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थायी लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना और सुशासन को बढ़ावा देना भी इस योजना का अहम उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई नई पद्धतियां विकसित की जाएंगी। उदाहरण के लिए गुजरात के पुंसारी गाँव में ग्राम पंचायत कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमीट्रिक प्रणाली लगाई गई। इस उपाय से कार्यों के निष्पादन में जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित हुई है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र के हिवड़े बाजार में वनों के संरक्षण, समेकित जल–संचयन उपायों का विकास करने के लिए संयुक्त वन–प्रबंधन समिति की सहायता ली गई है ताकि गाँव को सूखे और पानी की कमी की समस्या से मुक्त कराया जा सके।

संसद सदस्य अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस नई योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। वे समुदाय को न केवल विकास कार्य शुरू करने बल्कि इस योजना में दर्शाए गए मूल्यों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। संसद सदस्यों को इन आदर्श ग्रामों को इस प्रकार विकसित करना चाहिए कि ये गाँव अपने आस–पास के गाँवों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बनें और इन गाँवों में किए गए प्रयासों को अन्य गाँवों मे दोहराया जा सके। इस योजना के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच योजनाबद्ध समन्वय एवं तालमेल की भी जरूरत होगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि ये दिशा–निर्देश संसद, राज्य सरकारों, भारत सरकार के मेरे सहयोगियों और अन्य साझेदारों के साथ कई दौर के विचार–विमर्श के बाद तैयार किए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं के साथ–साथ चारित्रिक निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास सुनिश्चित करने वाली व्यापक ग्राम विकास योजना तैयार करने के कार्य में संसद सदस्यों के नेतृत्व और ग्राम स्तर पर सामुदायिक भागीदारी से ही यह योजना सफल हो सकती है।

11वाँ अक्टूबर 2014

नितिन गडकरी
केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज,
पेयजल और स्वच्छता, सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री

विषय वस्तु

1	महात्मा गांधी के सपनों का आदर्श गाँव	6
2	लक्ष्य	8
3	सांसद आदर्श ग्राम योजना का मूल्य	8
4	उद्देश्य	8
5	विगत के अनुभवों से प्राप्त सीख	9
6	दृष्टिकोण	9
7	आदर्श ग्राम में कार्यकलाप	9
8	कार्यनीति	12
9	आदर्श ग्राम का निर्धारण	12
10	आयोजना	13
11	समय-सीमाएं	16
12	भूमिकाएं और जिम्मेदारियां	16
13	प्रौद्योगिकी और नए उपायों का प्रयोग	18
14	निजी, स्वयंसेवी और सहकारी क्षेत्रों की क्षमताओं का उपयोग करना	19
15	क्षमता विकास	19
16	परिणाम	20
17	निगरानी	20
18	स्थायित्व	20
	अनुबंध-I	21
	अनुबंध-II	36

महात्मा गांधी के सपनों का आदर्श गाँव

महात्मा गांधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना 'स्वराज' को 'सुराज' में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है।

गांधी जी के अपने शब्दों में आदर्श गाँव का उनका सपना इस प्रकार है :

आदर्श भारतीय गाँव इस प्रकार बना होगा कि वह पूर्णतः स्वच्छ हो। उस गाँव के आस–पास पांच मील की परिधि में उपलब्ध सामग्री से बने कुटीरों में पर्याप्त रोशनी और हवा की आवाजाही की व्यवस्था होगी............. गाँव के रास्तों और गलियों में कोई धूल–मिट्टी नहीं होगी। गाँव में आवश्यकतानुसार कुएँ होंगे और उनका जल सभी को उपलब्ध होगा। गाँव में सभी के लिए प्रार्थना–स्थल होगा। सार्वजनिक बैठक स्थल, पशुओं के लिए सार्वजनिक चरागाह, सहकारी डेयरी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल होंगे, जिनमें औद्योगिक शिक्षा मुख्य घटक होगी और इस गाँव में विवादों के समाधान के लिए पंचायतें होंगी। गाँव के लिए खाद्यान्न, सब्जियों और फलों तथा खादी का उत्पादन भी गाँव में ही होगा। मोटे तौर पर आदर्श गाँव का मेरा विचार तो यही है। (हरिजन, 9–1–1937; वॉल्यूम 64#: पेज 217–18)

उसी गाँव को बेहतर गाँव माना जाए .... जहां यथासंभव सबसे ज्यादा ग्रामोद्योग पनप रहे हैं, जिसमें कोई व्यक्ति निरक्षर न हो, जहां सड़कें साफ–सुथरी हों, जहां मल त्याग के लिए नियत स्थान हों, कुएँ साफ–सुथरे हों, विभिन्न समुदायों के बीच सौहार्द हो और अस्पृश्यता की कुरीति पूर्णतः समाप्त हो गई हो, जहां सभी को संतुलित मात्रा में गाय का दूध, घी इत्यादि मिल रहा हो, जहां कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न हो और जहां कोई लड़ाई–झगड़े व चोरी की घटनाएं बिल्कुल न होती हों। ..... (पत्र...... मुन्नालाल शाह, 4–4–1941; वॉल्यूम 73#: पेज 421)

''ग्राम स्वराज के बारे में मेरी राय यह है कि गाँव अपने आप में पूर्ण गणराज्य हो, अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसी गाँवों पर निर्भर न हो परंतु कई अन्य ऐसी जरूरतों की पूर्ति के लिए उन गाँवों पर निर्भर हो, जिनके लिए निर्भर होना आवश्यक हो। अतः प्रत्येक गाँव का पहला सरोकार स्वयं अपने लिए अनाज और कपड़ों हेतु कपास की फसलें उगाना होना चाहिए। गाँव में मवेशियों के लिए चरागाह, वयस्कों और बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधाएँ और खेल के मैदान होने चाहिएं। इसके बाद भी यदि और जमीन उपलब्ध हो तो गाँव में गांजा, तंबाकू, अफीम जैसी फसलों को छोड़कर अन्य नकदी फसलें उगाई जाएंगी। गाँव के पास अपना थियेटर, स्कूल और सार्वजनिक हॉल होगा। स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गाँव की अपनी व्यवस्था होगी। यह कार्य नियंत्रित कुओं या तालाबों से किया जा सकता हैं। अंतिम आधारभूत पाठ्यक्रम के स्तर तक शिक्षा अनिवार्य होगी। यथासंभव प्रत्येक कार्यकलाप सहकारिता के आधार पर चलाया जाएगा। आज की तरह अस्पृश्यता के श्रेणीक्रम वाली कोई जाति प्रथा नहीं होगी।''

(हरिजन, 26–7–1942; वॉल्यूम 76#: पेज 308–9)

प्रत्येक देशभक्त के समक्ष यह चुनौती होगी कि भारत के गाँवों का ऐसा पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जाए कि कोई भी व्यक्ति उनमें भी उतनी ही आसानी से रह सके, जैसे कि शहरों में रहा जाता है। हरिजन, 7–3–1936

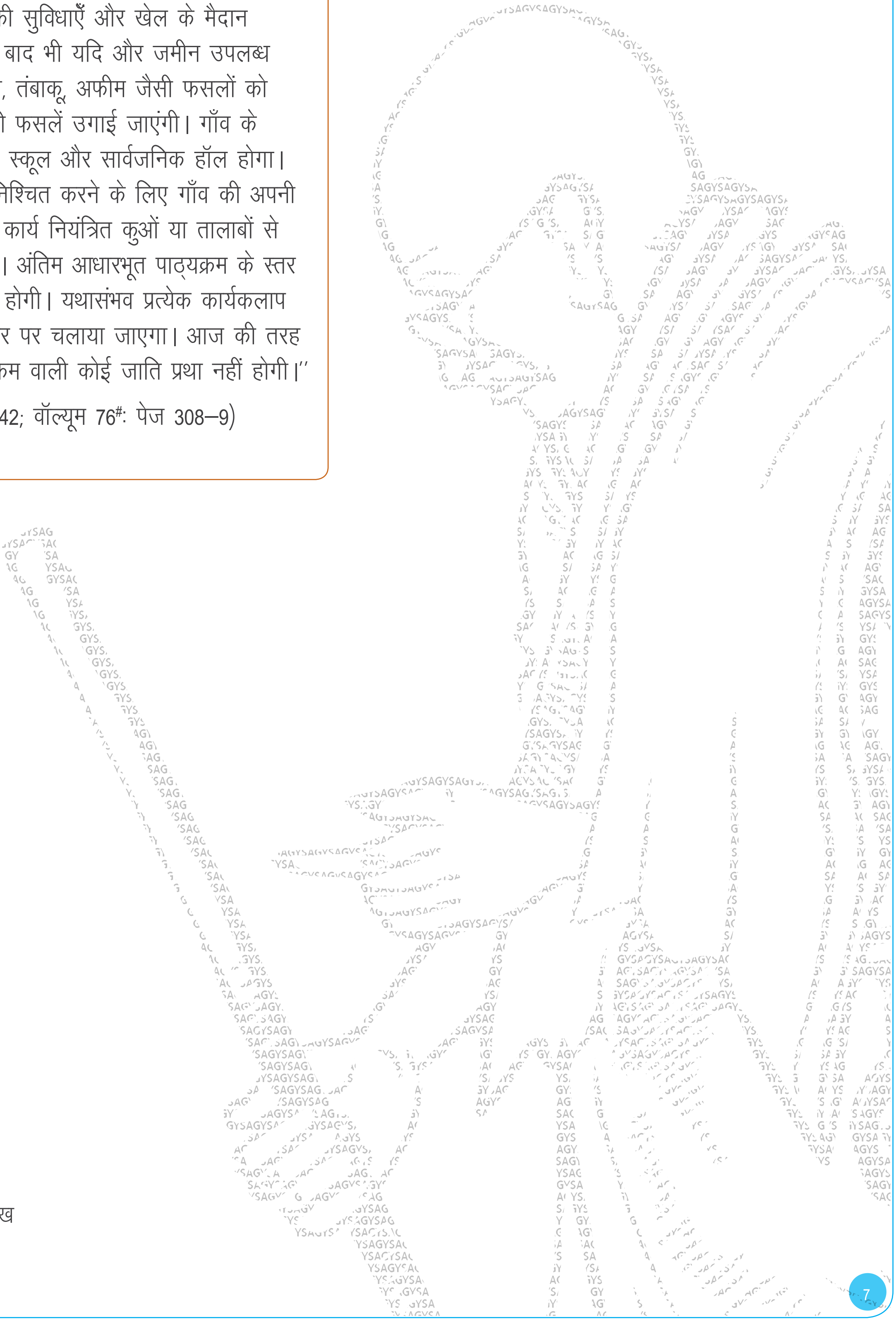

महात्मा गांधी के संकलित लेख

2. लक्ष्य

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी के इस व्यापक और ऑर्गेनिक विजन को सार्थक बनाना है।

3. सांसद आदर्श ग्राम योजना का मूल्य :

एसएजीवाई का उद्देश्य मात्र अवसंरचना विकास करने के अलावा, गाँव में और उसकी जनता के मन में कतिपय नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना है ताकि वे अन्य लोगों के लिए मॉडल बन सकें। इन मूल्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. लोगों की भागीदारी को अपने ध्येय के रूप में अपनाना–ग्रामीण जीवन से संबंधित सभी पहलुओं खासकर शासन से संबंधित निर्णयों में, समाज के सभी वर्गों का सहभागिता सुनिश्चित करना।

ii. अंत्योदय के सिद्धान्त के अनुसार – गाँव में "सबसे निर्धन और कमजोर व्यक्तियों" को सक्षम बनाना ताकि वे अपना कर सकें।

iii. महिला पुरूष समानता की पुष्टि करना और महिलाओं के लिए सम्मान सुनिश्चित करना।

iv. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना।

v. श्रम की गरिमा और सामुदायिक सेवा एवं स्वैच्छिक सेवा की भावना मन में बैठाना।

vi. साफ–सफाई की आदत को बढ़ावा देना।

vii. प्रकृति की सुरक्षा करते हुए विकास और पर्यावरण में संतुलन सुनिश्चित करना।

viii. स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना और इसे प्रोत्साहन देना।

ix. पारस्परिक सहयोग, स्व–सहायता और आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न करना।

x. ग्रामीण समुदाय में शांति और सौहार्द को बनाए रखना।

xi. सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी बढ़ाना।

xii. स्थानीय स्व–शासन को सहायता प्रदान करना।

xiii. भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों में उल्लिखित नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना।

4. उद्देश्य

एसएजीवाई के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

i. निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।

ii. आबादी के सभी वर्गो के जीवन–स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा–

   1. उन्नत बुनियादी सुविधाएँ
   2. अधिकतम उत्पादकता
   3. बेहतर मानव विकास
   4. बेहतर आजीविका के अवसर
   5. असमानता में कमी
   6. अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना
   7. वृहत सामाजिक एकजुटता
   8. समृद्ध सामाजिक पूंजी

iii. स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सकें।

iv. निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सकें।

एसएजीवाई का उद्देश्य मात्र अवसंरचना विकास करने के अलावा, गाँव में और उसकी जनता के मन में कतिपय नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना है ताकि वे अन्य लोगों के लिए मॉडल बन सकें।

5. विगत के अनुभवों से प्राप्त सीख

कुछ ग्राम पंचायतों ने समेकित स्थानीय विकास में असाधारण उपलब्धि दिखाई है जो कि मुख्य रूप से नेतृत्व और सामूहिक कार्यकलाप की भावनाएं जागृत करने की वजह से हैं। ऐसे उत्कृष्ट कार्यों से सबक लेते समय, इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि स्थानीय स्तर पर विकास से संबंधित विगत के अनुभवों से पता चला था कि इस कार्य में अनेक चुनौतियां हैं। आमतौर पर जो कठिनाइयां सामने आती है वे इस प्रकार हैं :–

i. लंबे समय तक के लिए विकास का साझा विजन तैयार करने में असमर्थता

ii. विकास से जुड़ी सहायता और समुदाय की यथार्थ जरूरतों के बीच कोई संबंध नहीं।

iii. समाज के सभी वर्गों खासकर सीमांत और वृहदों की भागीदारी की कमी।

iv. सामाजिक पहलु और निरंतर परिणामों को देखे बिना अवसंरचना और खर्च पर विशेष ध्यान।

v. मुख्य रूप से सरकारी अनुदानों पर भरोसा और समुदाय अंशदान एवं स्व–सहायता के लिए जोर न देना

vi. विभिन्न योजनाओं के घटकों में आपसी तालमेल की कमी

vii. स्थानों और परिवारों को लाभों के आवंटन के संबंध में गलत निर्णय जिससे अलगाव की भावना पनपती है

viii. राजनैतिक अंधभक्ति –महसूस की गई और वास्तविक

ix. समुदाय के विभिन्न वर्गों की सामाजिक–आर्थिक मान्यताओं की अवहेलना

x. सत्ता के विभिन्न केंद्रों की मौजूदगी और उनके बीच तालमेल व्यवस्था की कमी

xi. शीघ्र लाभ पाने के लिए पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी

xii. मद्यपान, दहेजप्रथा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, महिलाओं की भेदभाव जैसी सामाजिक बुराईयों की व्याप्तता।

6. दृष्टिकोण

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित दृष्टिकोण से एसएजीवाई का मार्गदर्शन किया जाएगाः

i. मॉडल ग्रामपंचायत तैयार करने के संसद सदस्यों में नेतृत्व क्षमता, प्रतिबद्धता और कार्यकौशल के स्तर को बढ़ाना

ii. स्थानीय स्तर पर भागीदारीपूर्ण विकास के लिए समुदाय को एकजुट करना और उनसे काम लेना

iii. विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और प्राइवेट एवं स्वैच्छिक अभिनव पहलों में तालमेल बिठाना ताकि जनता की आकांक्षाओं और स्थानीय क्षमता के अनुसार व्यापक विकास के उद्देश्य को पूरा किया जा सके

iv. स्वैच्छिक संगठनों, सहकारी और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ साझेदारी बढ़ाना

v. परिणामों और स्थायित्व पर विशेष ध्यान

स्थानीय स्तर पर भागीदारीपूर्ण विकास के लिए समुदाय को एकजुट करना और उनसे काम लेना

7. आदर्श ग्राम में कार्यकलाप

आदर्श ग्राम में जहां तक संभव हो सके, लोगों की क्षमताओं और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए जनता का साझा विज़न तैयार किया जाना चाहिए जिसमें संसद सदस्य, ग्राम पंचायत, सिविल सोसायटी और सरकारी तंत्रों द्वारा पर्याप्त मदद की जाएगी। स्वाभाविक तौर पर, आदर्श ग्राम के घटक संदर्भ विशिष्ट होंगे। तथापि, विशिष्ट कार्यकलापों का मोटे तौर पर निर्धारण कर पाना अभी भी संभव है। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :–

एसजीएवाई के जरिए समग्र विकास

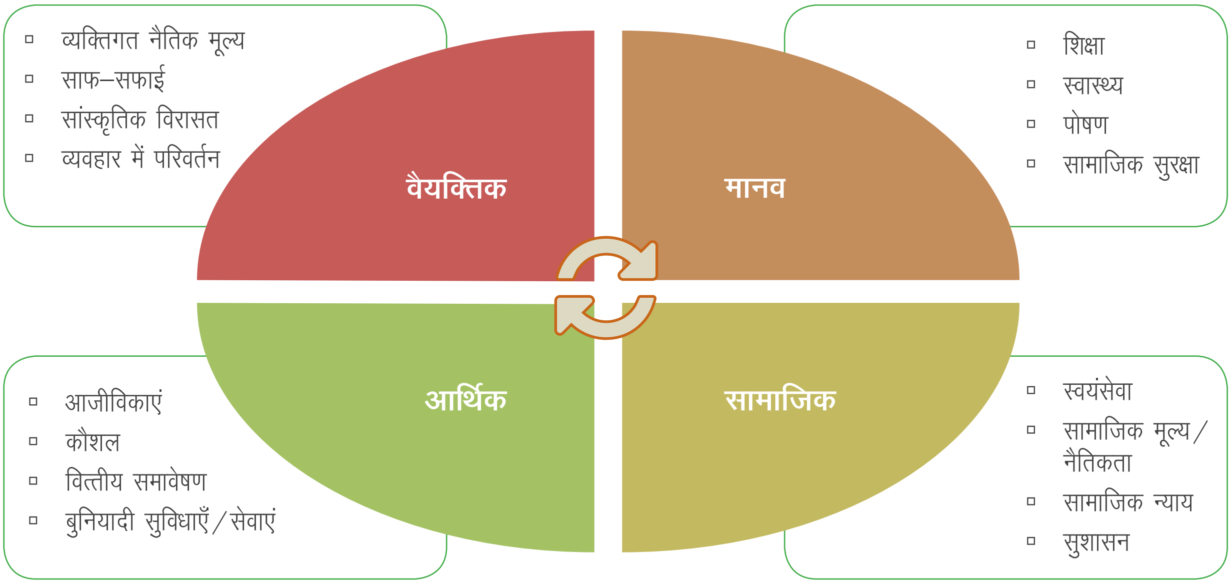

1. वैयक्तिक विकास

i. साफ–सफाई और स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास
ii. दैनिक व्यायाम और खेलकूद सहित स्वास्थ्यपूरक आदतों का विकास
iii. जोखिम से जुड़ी आदतों–मद्यपान, धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन इत्यादि में कमी

2. मानव विकास

i. सभी को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएँ जिसमें हेल्थ कार्ड, मेडिकल जांच शामिल है, उपलब्ध कराना
ii. संपूर्ण टीकाकरण
iii. लिंगानुपात को संतुलित रखना
iv. शत–प्रतिशत संस्थागत सुपुर्दगी
v. सभी के पोषण स्तर को बेहतर बनाना, जिसमें बच्चों, किशारियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा
vi. विकलांग व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों और महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों पर विशेष ध्यान
vii. सभी का 10वीं कक्षा तक की शिक्षा उपलब्ध कराना और उनकी निरंतरता बनाए रखना
viii. विद्यालयों को 'स्मार्ट स्कूल' में बदलना। स्मार्ट स्कूलों में आईटी आधारित क्लासरूम, ई–पुस्तकालय, वेब आधारित शिक्षण की व्यवस्था होगी और सभी छात्रों को ई–साक्षर बनाया जाएगा जो कि गणुवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
ix. प्रौढ़ शिक्षा
x. ई–साक्षरता
xi. ई–लाइब्रेरी सहित ग्रामीण पुस्तकालय

3. सामाजिक विकास

i. भारत निर्माण स्वयंसेवियों जैसे स्वयंसेवकों को बढ़ावा देने वाले कार्यकलाप
ii. जनता की क्षमता का निर्माण करना ताकि वे स्थानीय विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह भाग ले सकें और अपना योगदान दे सकें
iii. ग्रामीण वृद्धों, स्थानीय रोल मॉडलों विशेषकर महिलाओं स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करने वाले कार्यकलाप
iv. हिंसा और अपराध मुक्त गाँवों के लिए कार्यकलाप अर्थात्
   1. नागरिक समितियां गठित करना
   2. विशेषकर युवाओं को संवेदनशील बनाना
v. ग्रामीण खेलकूद और लोक कला उत्सव
vi. एक ऐसा ग्रामीण गीत बनाना जिससे लोगों में गर्व की भावना पनपे
vii. 'ग्राम दिवस' का आयोजन
viii. सामाजिक रूप से अलग–थलग पड़े समुहों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के समावेशन एवं समेकन के लिए किए गए सक्रिय उपाय

4. आर्थिक विकास

i. निम्न के माध्यम से विविधिकृत कृषि आजीविकाओं, जिसमें पशुधन और बागवानी भी शामिल है, को बढ़ावा देना
   1. जैविक कृषि
   2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड
   3. फसलों की पैदावार बढ़ाना अर्थात श्री (एसआरआई) विधि
   4. बीज बैंकों की स्थापना
   5. गैर–इमारती वन उत्पाद का संग्रहण और मूल्य संवर्धन

6. गोबर बैंक, मवेशी होस्टल सहित पशुधन विकास
7. लघु सिंचाई
8. कृषि सेवा केन्द्र

ii. ग्रामीण औद्योगिकरण, जैसे कि
1. फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी का उपयोग
2. लघु उद्यम
3. डेयरी विकास और प्रसंस्करण
4. खाद्य प्रसंस्करण
5. पारंपरिक उद्योग

iii. स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं का कौशल विकास

iv. इको–टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन

सभी उपर्युक्त कार्यकलापों में विशेष रूप से परिवारों को गरीबी से उबारने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसके लिए महिला स्व–सहायता समूहों का गठन करना और उनके संघ बनाना, सभी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराना तथा वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

5. पर्यावरण विकास

i. स्वच्छ और हरित ग्राम के लिए कार्यकलाप जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :
1. प्रत्येक परिवार में और सभी सार्वजनिक संस्थाओं में शौचालयों की व्यवस्था करना और उनका उचित उपयोग सुनिश्चित करना
2. उपयुक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

ii. सड़कों के किनारों पर पौधरोपण

iii. ग्रीन वाकवेज सहित, वासभूमि, विद्यालयों और सार्वजनिक संस्थाओं में स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार वृक्षारोपण

iv. सामाजिक वानिकी

v. वाटरशेड प्रबंधन विशेषकर पारंपरिक जल निकायों का पुनर्द्धार और फिर से शुरू किया जाना

vi. वर्षा जल संचयन–छत पर वर्षा जल एकत्रीकरण और अन्य

vii. वायु, जल और भूमि को स्थानीय रूप से प्रदूषित होने से बचाना

6. बुनियादी सुविधाएँ और सेवाएं

i. सभी बेघर गरीबों/कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए पक्का मकान

ii. पेयजल, अधिमानतः पारिवारिक नलों से शोधित पाईप्ड वाटर

iii. ढकी हुई नालियों युक्त भीतरी बारहमासी सड़कें

iv. मुख्य सड़क नेटवर्क तक बारहमासी सड़क संपर्क

v. सभी परिवारों में बिजली का कनेक्शन और स्ट्रीट लाईट जिसमें बिजली के वैकल्पिक स्रोतों, विशेष सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट शामिल हैं

vi. सार्वजनिक संस्थाओं – आंगनवाड़ियों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्राम पंचायत कार्यालयों, पुस्तकालयों के लिए पक्की अवसंरचना

vii. सामुदायिक भवन, एसएचजी संघों के लिए भवन, खेल परिसर तथा कब्रगाह/शमशान घाट सहित सिविक अवसंरचना

viii. ग्रामीण बाजार

ix. पीडीएस दुकानों के लिए अवसंरचना

x. माइक्रो मिनि बैंक/डाकघर/एटीएम

xi. ब्रोड बैंड कनेक्टिविटी और साझा सुविधा केन्द्र

xii. टेलीफोन कनेक्टिविटी

xiii. सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी

7. सामाजिक सुरक्षा

i. सभी पात्र परिवारों–वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं के लिए पेंशन

ii. आम आदमी बीमा योजना जैसी इंश्योरेंस स्कीमें

iii. स्वास्थ्य बीमा – आर एस बी वाई

iv. सार्वजनिक वितरण प्रणाली–सभी पात्र परिवारों के लिए सर्वसामान्य उपलब्धता

8. सुशासन

i. सुदृढ़ और जवाबदेह पंचायतों तथा सक्रिय ग्राम सभाओं के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना।

ii. ई–शासन जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।

iii. सभी के लिए यूआईएडीआई कार्डों की व्यवस्था।

iv. सरकारी और पंचायत कर्मियों की नियमित एवं समय पर हाजिरी सुनिश्चित करना

v. विभाग के सिटिजन चार्टर के अनुरूप समयबद्ध ढंग से सेवा प्रदायगी।

vi. ग्राम सभा की बैठक से पूर्व महिला ग्राम सभा का आयोजन।

vii. एक वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा का आयोजन।

viii. प्रत्येक तिमाही में बाल सभा का आयोजन।

ix. कार्यक्रम के क्रियान्वन से संबंधित सभी जानकारियों को पब्लिक डोमेन में डालना और स्थानीय भाषा में दीवारों पर लिखाई, नोटिस बोर्डों के माध्यम से इन जानकारियों का स्वतः प्रकटन करना। इसमें लाभार्थियों की सूची, मद–वार बजट और खर्च को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

x. सूचना सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहीं ग्राम पंचायतें।

xi. जनता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों का समय पर निपटान
1. सभी प्रकार की शिकायतें ग्राम पंचायत/प्रभार अधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी और उनसे तारीख युक्त पावती ली जाएगी।
2. तीन सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर के साथ शिकायतों का निपटान किया जाएगा।

3. शिकायतों को सुनने और इनका निपटान करने के लिए ग्राम पंचायतों के सहयोग से नियमित रूप से खुले मंच के आयोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

xii. ग्राम सभा द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन की अर्धवार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा की जाएगी और मनरेगा के तहत स्थापित की गई सामाजिक लेख परीक्षा इकाई इसमें सहयोग करेगी।

8. कार्यनीति

निर्धारित किए गए गाँव को विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के माध्यम से आदर्श ग्राम में बदलने के लिए, निम्नलिखित संभावित कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी :

1. सकारात्मक साझा कार्रवाई के प्रति समुदाय को एकजुट एवं प्रेरित करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप।
2. लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए भागीदारीपूर्ण आयोजना कार्य।
3. जहां तक संभव हो केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और साथ ही राज्यों की अन्य योजनाओं से प्राप्त संसाधनों में अभिसरण।
4. यथा संभव मौजूदा अवसंरचना की मरम्मत तथा उनका पुनरूद्धार।
5. ग्रामपंचायतों और इसके अंतर्गत पड़ने वाली जनता की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना।
6. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।

कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने के लिए, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची को दर्शाने वाला सुझाया गया फ्रेमवर्क अनुबंध–1 में दिया गया है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यकलापों, उनके आउटपुटों और परिणामों के लिए किया जा सकता है। प्रचालन संबंधी ब्यौरे स्थानीय संदर्भ में तैयार किए जाने, इनका यथापेक्षित विस्तार किए जाने और इसमें नए विचारों का समावेश किए जाने की जरूरत है।

जहां तक संभव हो केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और साथ ही राज्यों की अन्य योजनाओं से प्राप्त संसाधनों में अभिसरण।

सकारात्मक साझा कार्रवाई के प्रति समुदाय को एकजुट एवं प्रेरित करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप।

9. आदर्श ग्राम का निर्धारण

ग्राम पंचायत बुनियादी इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000–5000 और पर्वतीय, जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000–3000 होगी। ऐसे जिलों जहां इकाई का आकार उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन किया जा सकता हैं जहां कि आबादी वांछित आबादी के लागभग समान है।

संसद सदस्य आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए अपने खुद के या अपनी दंपत्ति के गाँव के अलावा किसी उपयुक्त ग्राम पंचायत का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

संसद सदस्य तत्काल कार्य शुरू किए जाने के लिए एक ग्राम पंचायत का और थोड़े समय बाद कार्य शुरू किए जाने के लिए अन्य ग्राम पंचायतों का निर्धारण करेंगे। लोकसभा संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र से चयन करना होगा और राज्य सभा संसद सदस्य को उस राज्य, जहां से वह निर्वाचित है, से अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत का चयन करना होगा। नामित संसद सदस्य देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के किसी एक ग्राम पंचायत का चयन कर सकता है। शहरी निर्वाचन क्षेत्र के मामले में (जहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है), संसद सदस्य अपने आसपास के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र की किसी ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे।

सबसे पहले मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 2016 तक एक आदर्श ग्राम बनाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ऐसे 5 आदर्श ग्रामों (प्रतिवर्ष एक) का चयन किया जाएगा और 2024 तक इनका विकास कर दिया जाएगा।

10. आयोजना

निर्धारित की गई प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्रामीण विकास योजना तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को गरीबी से उबारने में मदद करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

योजना की तैयारी शुरू होने से पहले, व्यवस्थित माहौल तैयार करने और सामाजिक जागरूकता की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी अगुवाई संसद सदस्य खुद करेंगे। इस कार्य में ग्राम पंचायत की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। कुछ प्रमुख कार्यकलाप, जिन पर विचार किया जा सकता है, इस प्रकार हैः–

1. ग्राम सभा, महिला सभा, बाल सभा के साथ चर्चा
2. व्यावसायिक समूहों और स्थानीय संगठनों (युवा क्लबों सहित) के साथ चर्चा
3. सांस्कृतिक और खेलकूद समारोहों का आयोजन
4. दीवारों पर लिखवाई, शिविर, पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक आदि
5. गाँव को आदर्श ग्राम कैसे बनाया जाए, इस विषय में चित्रकारी और साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना
6. गाँव विकास के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों का वीडियो दिखाना

इन कार्यकलापों के परिणामस्वरूप आदर्श ग्राम की एक व्यापक तस्वीर तैयार होगी, जिससे ग्रामीणों में उत्साह का संचार होगा। इसके बाद दो चरणों में भागीदारीपूर्ण आयोजना प्रक्रिया का सुझाव दिया गया है जिसमें ग्राम पंचायत के साथ–साथ संसद सदस्य अग्रणी सहायक की भूमिका निभाएंगे और जिला अधिकारी आवश्यक व्यावसायिक और समन्वयन सहायता प्रदान करेंगे।

पहले चरण में स्वयं लोगों द्वारा किए जा सकने वाले कार्यकलाप शामिल होंगे जो कि व्यवहार और समाज में परिवर्तन, स्व–सहायता और आपसी सहायता, श्रमदान, स्थानीय योगदानों और स्थानीय संसाधनों द्वारा किए जाएंगे। ये कार्यकलाप निम्नलिखित से संबंधित हो सकते हैः

1. सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी कर्मियों समेत समुदाय इस बात के लिए सामूहिक रूप से शपथ लेंगे कि समुदाय अपने आर्थिक उत्थान की दिशा में समयबद्ध ढंग से कार्य करेगा ताकि इस गाँव में सभी परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएं।
2. भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्यों को पढ़कर सुनाया जाए और सभी के द्वारा इसे दोहराया जाए।
3. स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन
4. स्वच्छता अभियानों का आयोजन
5. पशु स्वास्थ्य शिविर
6. उपस्थिति की बढ़ाने और सेवा प्रदायगी की गुणवता को बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ियों में पहल
7. पीटीआई की भागीदारी से स्थानीय विद्यालयों में पहल ताकि उपस्थिति, शिक्षा की गुणवता और दोपहर के भोजन की गुणवता इत्यादि बेहतर बनाई जा सके।
8. वृक्षारोपण
9. एसएचजी का पुनरूद्वार/नई जान डालना
10. मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिवस का आयोजन
11. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में सुधार करना।
12. जिला कलक्टर और खासकर नागरिक आपूर्ति, सामाजिक कल्याण, भू–राजस्व इत्यादि से संबंधित मुख्य जिला स्तरीय अधिकारियों की भागीदारी से शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन।

इस चरण के दौरान विशेषकर व्यक्तिगत, मानव, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास और सुशासन की सभी श्रेणियों से संबंधित जितने भी कार्यकलाप संभव हों, उतने कार्यकलाप चलाए जाने चाहिए। इसी के साथ स्थिति का विश्लेषण भी कराया जाना चाहिए, जो कि दूसरे चरण का पहला कार्यकलाप है।

इन कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण जन–समुदाय इस पूरी योजना के कार्यान्वयन के लिए अपनी इच्छा दर्शा चुका होगा, जिसके बाद कार्यान्वयन के विभिन्न घटक शुरू किए जाएंगे।

तत्पश्चात आयोजना प्रक्रिया का दूसरा चरण आगे दर्शाए गए कार्यकलापों के माधयम से जारी रखा जा सकता हैः

1. स्थिति का विश्लेषणः

पहले ही चरण के दौरान शुरू हो चुका यह कार्यकलाप दोहरी प्रक्रिया होगी, जिसे एक ही समय में कार्यान्वित किया जाएगा।

i. बेसलाइन सर्वे : इसके दो प्रयोजन है–पहला, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान परिदृश्य के ब्यौरों का निर्धारण करना जिससे इसके लिए सुधारों को समुचित रूप से चिन्हित किया जा सके। दूसरा, भविष्य में होने वाले आर्थिक और मानव विकास की संभावनाओं के साथ–साथ अवसंरचनाओं, सुविधाओं और सेवाओं में कमियों और खामियों के मूल आंकड़े उपलब्ध कराना। इस कार्य को किसी विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से कराया जाना चाहिए। विकल्प के रूप में यह कार्य शैक्षणिक संस्थान अथवा एक प्रशिक्षित विशेषज्ञों के समूह को सौंपा जा सकता है। बेसलाइन सर्वे में

शामिल किए गए मानदण्डों को अनुबंध–।। में दर्शाया गया है। इसमें अतिरिक्त स्थानीय सम्बद्ध मदों को शामिल किया जा सकता है।

ii. स्थिति का भागीदारीपूर्ण विश्लेशण : इसे प्रशिक्षित सहायता कर्ताओं को शामिल करते हुए स्थानीय समुदाय के माध्यम से कराया जाना चाहिए। प्रशिक्षण की व्यवस्था एनआइआरडी एवं पीआर करेगा। प्रयोग की जा सकने वाली मुख्य भागीदारीपूर्ण तकनीकें इस प्रकार हैं–

* सोशल मैप : स्थानीय व्यक्तियों विशेष रूप से

महिलाओं द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा मैप है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों, महत्वपूर्ण संस्थानों, भौतिक और सामाजिक अवसंरचनाओं तथा अन्य सुख–सुविधाओं के अनुसार परिवारों को दर्शाया जाता है।

* संसाधन मैपिंग : यह गाँव में प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता करता है। इसे भी स्थानीय लोग ही तैयार करते हैं और इस मैप में निम्नलिखित को दर्शाया जाता है–

◊ भूमि प्रयोग

◊ जल–निकाय

◊ सिंचाई की अवसंरचनाएं

◊ भूमि का वास्तविक स्वरूप–जिसमें ढलानें, ऊबड–खाबड़ स्थान, जल निकासी की पद्धतियां आदि दर्शाई गई हों।

संसाधन मैप माइक्रो वॉटर शैड की रूपरेखा दर्शाएगा तथा कृषि विकास एंव प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की संभावना का निर्धारण करेगा।

* नीड्स मैट्रिक्स : यह गाँव की सामूहिक आवश्यकताओं के विवेकपूर्ण मूल्यांकन और उनकी प्राथमिकताओं के लिए विभिन्न वर्गो के स्थानीय परिवारों को शामिल करके तैयार किया जाता है।

स्थिति विश्लेषण के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़े जीआईएस प्लेटफॉर्म पर अंकित किए जाएंगे।

2. पहले चरण के निष्पादन की समीक्षा :

पहले चरण के निषादन का अनिवार्य रूप से निर्धारण करने के लिए यह कार्य जिला कलक्टर, ग्राम पंचायत और समुदाय सहित संसद सदस्य के नेतृत्व में किया जाएगा – जिसमें यह आकलन किया जाएगा कि गाँव अपने–आप क्या उपलब्धि प्राप्त कर पाया है और यथोचित समयावधि में कौन से कार्य निश्चित रूप से संपन्न कर पाएगा।

इस निर्धारण के आधार पर गाँव कार्यनीति के निर्धारण का दूसरा कार्यकलाप शुरू कर पाएगा।

3. कार्यनीति बनाना :

बेसलाइन सर्वे और भागीदारीपूर्ण मूल्यांकन से लिए गए आंकड़ों के आधार पर स्टेकहोल्डरों का एक चुनिदां समूह, अधिकारी और विशेषज्ञ कार्यनीति के क्रियान्वयन हेतु विकास एवं कार्यकलापों के लिए आवश्यक कार्यनीतियों के बारे में सलाह दे सकते हैं। अन्य शब्दों में, आवश्यक योजनाओं और परियोजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा।

4 संसाधन आवरण का निर्धारण :

उपलब्ध संसाधनों को सुव्यवस्थित किए जाने की आवश्यकता है। मोटे तौर पर, उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है–

i. पूर्णरूप से सहबद्ध योजनाओं के संसाधन–केंद्र और राज्य द्वारा प्रायोजित–जैसेकि आईएवाई, पीएमजीएसवाई आदि।

ii. वे संसाधन जो आंशिक रूप से सहबद्ध है और उनके प्रयोग में ढिलाई की अनुमति है जैसेकि–मनरेगा, आरकेवीवाई, एनआरएलएम, एनएचएम, एसएसए आदि।

iii. ऐसे संसाधन जो सहबद्ध नहीं है जैसे– बीआरजीएफ, एमपीएलएडीएस आदि और जिनमें आवश्यक महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए ज्यादातर ढील देने की अनुमति होती है। विधायकों की स्थानीय विकास योजनाओं का उपयोग भी किया जा सकता है बशर्ते उनकी सहमति हो।

iv. ग्राम पंचायतों के पूर्णरूप से असहबद्ध संसाधन जैसे कि–उनका स्वयं का राजस्व, केंद्र और राज्य वित्तीय आयोग अनुदान आदि।

v. ऐसे स्थानीय संसाधन जिन्हें रोकड़, वस्तु और श्रम के रूप में जुटाया जा सके।

vi. सीएसआर निधियां

अधिकतक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों की उपर्युक्त श्रेणियों को तालमेल और एकीकृत पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में संबंधित मंत्रालय/विभाग आदर्श ग्राम को प्राथमिकता देने के लिए उन योजनाओं में उपयुक्त बदलाव लाने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करेंगे।

5. आवश्यकताओं का निर्धारण :

इसे सबसे अच्छे रूप में दो चरणों वाली प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जा सकता है। पहले चरण में विभिन्न स्टेकहोल्डरों विशेष रूप से महिला स्व–सहायता समूहों और कृषक समूहों तथा दूसरे चरण में ग्राम सभा विमर्श के जरिए। इन मंचों पर अभी तक किए गए कार्यों के परिणामों के सार को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा और यथा संभव मानदण्ड के अनुसार तथा सर्वसम्मति से आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाए।

6. ग्राम विकास योजना (वीडीपी) का प्रारूप तैयार करना :

जिला कलैक्टर लोगों की वरीयता प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन करेगा जिसमें सरकारी अधिकारी और बाहरी व्यावसायिक/विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस वीडीपी में पहले चरण के कार्यकलाप, योगदान और उपलब्धियों को भी शामिल किया जाना। इसमें समय–सीमाओं के साथ–साथ अपेक्षित आउटपुट और परिणामों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

7. ग्राम सभा द्वारा वीडीपी को मंजूरी :

वीडीपी का प्रारूप चर्चा और मंजूरी के लिए ग्राम सभा को प्रस्तुत किया जाएगा।

8. वीडीपी को स्वीकृति :

इसे जिला कलैक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा संसद सदस्य की टिप्पणियों और सलाहों पर विधिवत रूप से विचार करते हुए उसकी उपस्थिति में किया जाएगा। वीडीपी की स्वीकृति के समय समिति विशिष्ट लक्ष्यों के साथ तीन महीने, 6 महीने, 9 महीने, एक वर्ष और इससे अधिक अवधि वाले विभिन्न घटकों के चरणों को स्पष्ट रूप से दर्शाएगी।

9. परियोजनाकरण और स्वीकृतियां :

इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को अनुमोदित योजना के घटकों को परियोजनाओं का रूप देकर इनके लिए संबंधित योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार यथावश्यक प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करने चाहिएं। जिला कलैक्टर को निरंतर समयबद्ध तरीके से इस कार्य के निष्पादन के लिए स्वयं इसका समन्वयन करना चाहिए। प्रभारी अधिकारी उसकी सहायता करेगा।

10. प्रकटीकरण और प्रचार-प्रसार :

वास्तविक तथा वित्तीय पहलुओं और अनुमानित आउटपुटों एवं परिणामों को शामिल करते हुए अनुमोदित योजना की सभी प्रक्रियाओं एवं घटकों के ब्यौरों का व्यापक एवं सक्रिय रूप से प्रकटीकरण एवं प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि आयोजना प्रक्रिया मूलतः माहौल तैयार करने और सामाजिक एकजुटता कार्यों पर आधारित होनी चाहिए, जो कि इसका आधार है। इस बात का भी पर्याप्त ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह नियमित या तकनीकी कार्य न बनें।

नोट : योजनाओं के व्युत्पाद्यों को तात्कालिक (3 महीनों में), अल्पावधिक (6 महीनों में) मध्यम अवधि (1 वर्ष में) और दीर्घावधिक (1 वर्ष से अधिक समय) व्युत्पाद्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाए तथा इसी रूप में इनकी रिपोर्ट भेजी जाएं।

11. समय–सीमाएं

योजना को अंतिम रूप देने के साथ–साथ विभिन्न कार्यकलापों की समय–सीमाएं दर्शाना जरूरी है। इन कार्यकलापों में व्यक्तिगत और सामाजिक स्तरों पर चलाए जाने वाले सॉफ्ट इंटरवेंशन शामिल हैं। हालांकि कार्यकलाप–विशिष्ट समय–सीमाएं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अलग–अलग हो सकती हैं लेकिन कुछ व्यापक समय–सीमाओं के सुझाव इस प्रकार हैः

कार्य की मद	कार्य शुरू होने की तारीख से समय–सीमा
आदर्श ग्राम का चयन	एक माह
योजना के विषय में जागरूकता बढ़ाना	दो माह
माहौल तैयार करना और सामाजिक एकजुटता	तीन माह
प्रथम चरण के कार्यकलापों का आरंभ	तीन माह
प्रथम चरण के कार्यकलापों की समीक्षा	पांच माह
वीडीपी की तैयारी का समापन	सात माह
अनुमोदन और स्वीकृतियां	आठ माह
कार्यकलापों का आरंभ	नौ माह
ग्राम सभा और जिला स्तर पर वीडीपी की प्रगति की समीक्षा	एक वर्ष

गाँव के समुदाय से संपर्क करना और उन्हें अपनी क्षमतानुसार विकास कार्यकलाप स्वयं शुरू करने के लिए प्रेरित करना

12. भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और संबंधित कार्यक्रमों के विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं की होगी। गाँव की सामान्य जरूरतों और कमजोर परिवारों की विशिष्ट जरूरतों का सटीक निर्धारण करने, विभिन्न कार्यक्रमों से संसाधन जुटाने, कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी को आसान बनाने, इस योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यो की निगरानी और रखरखाव के लिए इन दोनों को मिलजुल कर कार्य करना होगा।

विभिन्न स्तरों पर समग्र समन्वय और समीक्षा तंत्र भी निर्धारित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह योजना अन्य क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार के लिए सर्वोत्तमक कार्यों के प्रदर्शन के प्रयोजन की पूर्ति भी करेगी। किन्तु कार्य कैसे किया जाएगा, इससे संबंधित विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की रूपरेखा आगे दर्शाई गई हैः

क. संसद सदस्यः

- आदर्श ग्राम का निर्धारण और चयन करना
- गाँव के समुदाय से संपर्क करना और उन्हें अपनी क्षमतानुसार विकास कार्यकलाप स्वयं शुरू करने के लिए प्रेरित करना
- योजना के मूल्यों का प्रचार–प्रसार करना
- सही माहौल तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करना
- आयोजना प्रक्रिया में मदद करना
- विशेषकर सीएसआर और परोपकारी संस्थाओं से यथासंभव अतिरिक्त संसाधन जुटाना
- योजना की अहम कमियों की पूर्ति संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना की निधियों से करना
- समय–समय पर प्रगति की निगरानी करना ओर मुदों व समस्याओं के समाधान में अग्रणी भूमिका निभाना।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सक्रिय प्रसार करना और लोक शिकायतों के निपटान में मदद करना
- वांछित और अमूर्त, विशेषकर सामाजिक परिणामों की प्राप्ति के लिए समुदाय से समन्वय करना

ख. भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल मंत्रालय है। दो राष्ट्रीय समितियां कार्यान्वयन का निरीक्षण करेंगी। एक समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री होंगे और उसमें योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन और निर्णयानुसार अन्य प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। दूसरी समिति के अध्यक्ष ग्रामीण विकास सचिव होंगे और इसमें आगे दर्शाए गए मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे:

- पंचायती राज
- आयोजना
- भूमि संसाधन
- महिला एवं बाल विकास
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- स्कूली शिक्षा
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता
- विद्युत
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
- दूर संचार
- सूचना प्रौद्योगिकी
- जल संसाधन
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता
- जनजातीय कार्य
- पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन
- कृषि
- खेलकूद और युवा कार्य
- अन्य संगत मंत्रालय

समिति इस योजना के प्रमुख विषय–विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है। संविदा आधार पर कार्यरत तीन संसाधन व्यक्तियों वाला छोटा, संकेंद्रित, अधिक प्रभावी सचिवालय इस समिति की सहायता करेगा।

समिति के कार्य इस प्रकार होंगे:

- निर्धारण और आयोजना की प्रक्रिया की निगरानी करना
- योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करना
- समवर्ती निगरानी और परियोजनोपरांत मूल्यांकन का तंत्र निर्धारित करना। विभिन्न राज्यों में मानक निगरानी पद्धतियां निर्धारित करने के उद्देश्य से वेब–आधारित निगरानी प्रणाली तैयार की जाएगी।
- रूकावटों और समस्याओं की पहचान करना और जहां कहीं आवश्यक हो वहां सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करना और इस योजना के दिशा–निर्देशों में यथापेक्षित परिवर्तन करना।
- विभिन्न राज्यों में क्षमता विकास के लिए प्रत्येक मंत्रालय जो विशिष्ट संसाधन सहायता प्रदान करेगा, वह सहायता दर्शाना
- राज्यों को एक–दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- ग्राम–स्तरीय विकास के सर्वोत्तम कार्यों का वीडियों तथा प्रिंट माध्यमों से प्रचार–प्रसार करना।
- इस योजना के विषय में सामान्य अथवा मद–विशिष्ट प्रचालन दिशा–निर्देश और सलाह समय–समय पर जारी करना।

ग. राज्य स्तर

इस योजना में शामिल की जाने वाली राज्य योजनाओं की संख्या और विभिन्न राज्यों में केंद्र द्वारा प्रायोजित अलग–अलग कार्यक्रमों की कार्यान्वयन संरचनाओं की भिन्नता को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अधिकार–प्राप्त समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें संगत विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और आवश्यकता पड़ने पर इसमें विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा जिसमें सिविल सोसाइटी के कम से कम दो प्रतिनिधि होंगे। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव संयोजक–सदस्य होंगे। इस राज्य स्तरीय समिति के कार्य में सहायता के लिए दो पूर्णकालिक संसाधन व्यक्ति अनुबंध–आधार पर तैनात किए जा सकते हैं।

ग्राम–स्तरीय विकास के सर्वोत्तम कार्यों का वीडियों तथा प्रिंट माध्यमों से प्रचार–प्रसार करना

कम से कम एक तिमाही में एक बार इस समिति की बैठक होगी और समिति जो कार्य करेगी, वे इस प्रकार हैं:

- केंद्रीय एसएजीवाई दिशा–निर्देशों के अनुपूरक और विभिन्न राज्य योजनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट अनुदेश जारी करना। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों के कर्मियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियों निर्धारित की जानी चाहिए।
- निर्धारित समय–सीमाओं में प्रमुख आउटपुटों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्गमन क्षेत्रों की ग्राम विकास योजनाओं की समीक्षा करना और आवश्यक होने पर परिवर्तनों के सुझाव देना।
- कार्यान्वयन की समीक्षा करना और वेब आधारित निगरानी प्रणाली के अनुपूरक के रूप में निगरानी तंत्र निर्धारित करना
- रूकावटों और अपेक्षित तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता का निर्धारण करना तथा समय–समय पर आवश्यक अनुदेश/सरकारी आदेश जारी करना।
- राष्ट्रीय स्तर की समितियों के साथ यथापेक्षित समन्वय करना।
- आदर्श गाँवों के प्रकटीकरण दौरानें की समय–सारण ी तैयार करना और सर्वोत्तम कार्यों के प्रचार–प्रसार की राज्य योजना तैयार करना।
- इस योजना के संबंध में शिकायत निपटान तंत्र की रूपरेखा तैयार करना, जो कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रभारी अधिकारी और जिले के स्तर पर स्थापित किया जाएगा।

यदि आवश्यक हो तो यह समिति समस्याओं का निर्धारण और समाधान करने के लिए संसद सदस्यों के छोटे समूहों से विचार–विमर्श कर सकती है।

घ. जिला स्तर

जिला कलैक्टर सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा। जिला कलैक्टर संबंधित भागीदारी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक करेगा। संबंधित संसद सदस्य इन समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। संबंधित ग्राम पंचायतों के मुखिया भी इन मासिक बैठकों में आमंत्रित किए जाएंगे।

जिला कलैक्टर प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पर्याप्त वरीयता वाला सक्षम प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा, जो स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन का समन्वय करेगा और कार्यान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार एवं जवाबदेह होगा। जिला कलैक्टर प्रधानमंत्री ग्राम विकास फेलोशिप (पीएमआरजीएफ) और एनआरएलएम के जिला मिशन प्रबंधन एककों के निर्धारित व्यक्तियों, यदि वहां तैनात है, को सक्रियतापूर्वक इस योजना में शामिल करेगा। जिला कलैक्टर की जिम्मेदारियां इस प्रकार होंगी:

- बेसलाइन सर्वे कराना
- ग्राम विकास योजना तैयार करने में मदद करना
- संगत योजनाओं से तालमेल करना
- सभी संबंधित विभागों में इस योजना के कार्यान्वयन का समन्वय करना
- हर महीने प्रगति की समीक्षा करके रिपोर्ट राज्य और भारत सरकार को भेजना
- संबंधित योजना के दिशा–निर्देशों में निर्धारित शिकायत निपटान और स्वतः प्रकटीकरण मानकों का अनुपालन करना
- प्रगति का जायजा लेने के लिए समय–समय पर कार्यस्थलों के दौरों की व्यवस्था करना

13. प्रौद्योगिकी और नए उपायों का प्रयोग

इस कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना और उसका अनुकूलन करना तथा नए उपाय शुरू करना बेहद जरूरी है। ये कार्य मुख्यतः आगे दर्शाए गए क्षेत्रों में किए जाएंगे:

i. स्पेस एप्लिकेशन और रिमोट सेंसिग: इसका प्रयोग कार्यक्रमों की आयोजना और निगरानी में किया जाएगा। परिसंपत्तियों की मैपिंग जीआईएस से की जाएगी। इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता राज्य रिमोट सेंसिंग एजेंसियों प्रदान करेंगी।

ii. मोबाइल आधारित प्रौद्योगिकियां: इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग जियो–टैगिंग के जरिए कार्यक्रमों की निगरानी के लिए किया जाएगा। आवश्यक माड्यूल और सहायता एनआईसी उपलब्ध कराएगी।

iii. कृषि संबंधी प्रौद्योगिकियां और नए उपाय: स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र और जिला एटीएमए प्राप्त इन प्रौद्योगिकियों एवं नए उपायों में से उत्पादन और उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की जा सकेगी।

iv. आजीविका संबंधी प्रौद्योगिकियां और नए उपाय: इन्हें मंत्रालय द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से स्थापित नैशनल इनोवेशन फाउंडेशन और बैंक ऑफ आइडियाज से प्राप्त किया जा सकता है।

v. उपयुक्त भवन निर्माण प्रौद्योगिकियां: स्थानीय सामग्री और डिजाइनों से निर्माण कार्य करने वाले विशेषज्ञ संगठनों की सहायता से इनका विकास किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और आईआईटी दिल्ली का हाउसिंग नॉलेज नेटवर्क इस प्रयोजनार्थ आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।

vi. सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियां: इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय सड़क विकास एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

vii. जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी प्रौद्योगिकियां: पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय किफायती तथा नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराएगा।

ग्रामीण विकास मंत्रालय आदर्श ग्रामों के लिए संगत प्रौद्योगिकियों और नए उपायों का संग्रह तैयार करेगा तथा उनका प्रचार–प्रसार करेगा।

14. निजी, स्वयंसेवी और सहकारी क्षेत्रों की क्षमताओं का उपयोग करना

एसएजीवाई में निजी, स्वयंसेवी और सहकारी क्षेत्रों की शक्तियों एवं संसाधनों का सक्रियता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे निम्न मदद मिल सकेगी :

- आयोजना, निगरानी के लिए तकनीक सहायता प्रदान करना
- स्थानीय प्रयोग के लिए संगत प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराना
- स्थानीय आर्थिक विकास के लिए या तो स्वतंत्र रूप से या सरकारी प्रयासों के अनुपूरक के रूप में निवेश करना/सेवाएं उपलब्ध कराना
  - स्थानीय कर्मियों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास
  - रोजगार पाने की योग्यता बढ़ाने के लिए स्थानीय युवाओं का कौशल विकास करना
  - मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण इत्यादि के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना
  - व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए परामर्श प्रदान करना

15. क्षमता विकास

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कृत संकल्प और ज्ञानवान कार्मिकों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त संबंधित ग्राम पंचायतों का भी उपयुक्त क्षमता विकास करना होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे राज्य स्तर पर एसआईआरडी संस्थानों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) हैदराबाद शुरू करेगा।

इसके अतिरिक्त जो कार्य ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा, वे कार्य इस प्रकार होंगे:

i. विभिन्न घटकों को शुरू करने संबंधी विस्तृत पुस्तिकाएं स्टेकहोल्डरों के लिए तैयार करना

ii. नए प्रकार के ग्रामीण विकास से संबोधित सर्वोत्तम कार्यों के दस्तावेज तैयार करना और उन कार्यो का प्रचार–प्रसार करना

iii. जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहां शंकाओं का समाधान करने और सलाह देने के लिए सिंगल प्वाइंट के रूप में हेल्प डेस्क एनआईआरडी एंड पीआर में स्थापित करना

iv. कार्यक्रम के दूसरे चरण में गांवों के जोड़े बनाने की व्यवस्था के माध्यम से साथी समूहों से सीखने के लिए सर्वोत्तम निष्पादन वाली ग्राम पंचायतों का निर्धारण करना।

कार्यक्रम के दूसरे चरण में गाँवों के जोड़े बनाने की व्यवस्था के माध्यम से साथी समूहों से सीखने के लिए सर्वोत्तम निष्पादन वाली ग्राम पंचायतों का निर्धारण करना।

16. परिणाम

निवेशों और योजनाओं से संबंधित अधिकांश परिणाम अनुबंध–II में दर्शाए गए हैं। इसके अतिरिक्त एसएजीवाई से अपेक्षित कुछ अन्य महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार होंगेः

- आजीविकाओं/रोजगार के अवसरों में वृद्धि
- पलायन में कमी
- बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मैला ढोने से मुक्ति
- मृत्यु और जन्म के शत–प्रतिशत मामलों का पंजीकरण
- समुदाय के सभी वर्गों के लिए स्वीकार्य वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विकास
- शांति और सौहार्द
- अन्य ग्राम पंचायतों पर आदर्श ग्रामों के प्रदर्शन का प्रभाव

17. निगरानी

इस योजना के सभी पहलुओं और घटकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पृथक तात्कालिक वेब–आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस प्रणाली में संसद सदस्यों और अन्य प्रमुख स्टेकहोल्डरों को अपने सुझाव/टिप्पणियां देने तथा प्रश्न पूछने या शिकयतें दर्ज करने के लिए इंटरफेस की सुविधा उपलब्ध होगी और कार्यान्वयनकर्ता प्राधिकरणों को तुरंत इन सभी का जवाब देना चाहिए।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई प्रत्येक प्रक्रिया के फोटो लेकर तथा उनका जियो–टेगीकरण करके उनका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। इसी प्रकार सभी परिसंपत्तियों के विभिन्न चरणों के फोटो अपलोड किए जाएंगे।

ग्राम विकास योजना में निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही में प्रत्येक कार्यकलाप के अंतर्गत आउटपुटों का आकलन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 12वीं योजना के प्रमुख निगरानी योग्य संकेतकों का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाएगा।

जहां तक संभव हो सके समय–समय पर परिणामों की जानकारी भी दर्शायी जाएगी।

मूल्यांकन

आगे दर्शाई गई श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाने का प्रस्ताव हैं :

i. सर्वोत्तम कार्य
ii. सर्वोत्तम प्रभारी अधिकारी
iii. सर्वोत्तम जिला कलैक्टर
iv. सर्वोत्तम आदर्श ग्राम

18. स्थायित्व

परियोजनोपरांत स्थायित्व निम्नलिखित के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना है।

- संसद सदस्य का नेतृत्व और मार्गदर्शन निरंतर जारी रहेगा
- कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख–रखाव में भूमिकाओं की स्पष्टता के साथ–साथ ग्राम पंचायत और ग्राम समुदाय की स्वामित्व एवं नेतृत्व की सुदृढ़ भावना
- सीवर व्यवस्था और विशाल जलापूर्ति योजनाओं जैसी अपेक्षाकृत बड़ी परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख–रखाव में निजी क्षेत्र की सहभागिता।
- कृषि खाद प्रणालियों, छोटी जलापूर्ति योजनाओं, पोषण केंद्रों, नागरिक सेवा केंद्रों, पुस्तकालयों इत्यादि जैसी अपेक्षाकृत छोटी सामुदायिक परिसंपत्तियों के प्रचालन और रख–रखाव में स्व–सहायता समूहों की सहभागिता
- योजना के अंतर्गत परियोजनाएँ अनुमोदित करते समय ही प्रचालन और रख–रखाव की विभागीय जिम्मेदारियों के संबंध में स्पष्ट प्रोटोकाल निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें स्वीकृत किया जाएगा।

''उठो, जागो और तब तक नहीं रूको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए।''
स्वामी विवेकानंद

अनुबंध-I

कार्यकलाप का विस्तृत विवरण

1. व्यक्तिगत विकास

1.1 कार्यकलाप : स्वस्थतापूर्ण व्यवहार और आदतें

उद्देश्य	▪ स्वयं के स्वास्थ्य को सुधारना जिसमें निम्नलिखित शामिल है– ▪ प्रतिदिन दांत की सफाई करना ▪ स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना ▪ प्रतिदिन स्नान करना ▪ शौचालय के बाद और खाना–खाने से पहले हाथ धोना ▪ साफ–सुथरे कपड़े पहनना ▪ मासिक धर्म के समय किशोरियों और महिलाओं की स्वच्छता
कार्यनीति	▪ स्वास्थय स्वयं सेवकों और स्वच्छता मित्रों के माध्यम से घर–घर जाना ▪ आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, एसएचजी के माध्यम से शिक्षा और शिविरों का आयोजन करना ▪ दीवार पर लेखन; प्रासंगिक स्थानों पर सूचना बोर्ड ▪ नुक्कड़ नाटक, फिल्म प्रदर्शनी आदि ▪ यदि सामुदायिक रेडियों स्थापित किया जाता है, तो यह बहुत ही उपयोगी माध्यम बन सकता है
योजनाएँ	▪ एनएचएम ▪ आईसीडीएस ▪ स्वच्छ भारत मिशन
आउटपुट	▪ युवा स्वयं सेवकों के माध्यम से स्वास्थ्य ब्रिगेड का निर्माण करना ▪ स्वास्थ्य ब्रिगेड द्वारा घरों का दौरा करना ▪ ऐसे व्यवहार और आदतों को शीघ्र अपनाने वालों को प्रोत्साहित करना और ऐसा न करने वालों को ऐसे व्यवहार और आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना
परिणाम	▪ डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के मामले को कम करना ▪ अन्य प्रकर की व्यक्तिगत बीमारियों को कम करना ▪ स्वस्थ रहने के लिए आदतों में सुधार लाना

1.2 कार्यकलाप : नियमित शारीरिक व्यायाम की आदतों को अपनाना

उद्देश्य	▪ जेंडर और आयु के हिसाब से व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से और अनिवार्य रूप से प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना
कार्यनीति	▪ विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराना: प्रत्येक व्यक्ति जिम, योगा, वॉकिंग/जॉगिंग, खेलकूद में से किसी को भी चुन सकता है ▪ व्यक्तिगत रूप से गाइड करने और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य स्वयंसेवक
योजनाएँ	▪ एमपीएलएडीएस ▪ नेहरू युवक केंद्र संगठन ▪ एमजी नरेगा ▪ राज्य सरकार खेल–कूद योजनाएँ
आउटपुट	▪ खेल–कूद के मैदानों, पार्कों का निर्माण करना ▪ सभी के लिए शारीरिक व्यायाम के अवसरों का निर्धारण करना तथा अवसर उपलब्ध कराना ▪ गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ना और प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था में मदद करना
परिणाम	▪ बीमारी रोकना ▪ सेहत में सुधार

1.3 कार्यकलापः शराब, धूम्रपान, गाली-गलौज की आदत कम करना

उद्देश्य	▪ सभी आयु के लोगों की शराब पीने, धूम्रपान करने, गाली–गलौज (नशीली दवाएं/तंबाकू/गुटका आदि) जैसे जोखिम भरी आदतों को कम करना
कार्यनीति	▪ नशे के आदि लोगों की पहचान करना ▪ व्यावहारिक बदलावों पर कार्य करना– एसएचजी और स्वास्थ्य स्वयंसेवक ▪ विद्यालयों, युवा क्लबों, एसएचजी और पूजा के स्थानों के माध्यम से अभियान चलाना ▪ गाँवों से जोखिम भरे पदार्थो को कम करना
योजनाएँ	▪ एनएचएम ▪ एमपीएलएडीएस (हार्डवेयर के लिए, जैसा भी लागू हो) ▪ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की योजनाएँ
आउटपुट	▪ जोखिम भरे व्यवहार और व्यवसाय का निर्धारण करना ▪ जोखिम पूर्ण व्यवहार पर सामाजिक प्रतिबन्ध ▪ नशीले पदार्थों के स्रोतों पर रोक ▪ व्यसन से मुक्त करने और व्यावहारिक बदलाव पर कार्य करना
परिणाम	▪ सेहत में सुधार ▪ बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ▪ घर और समाज में शान्ति और सौहार्द को बढ़ावा ▪ महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकना

2. मानव विकास

2.1 कार्यकलाप : स्वास्थ्य एवं पोषण

उद्देश्य	▪ स्वास्थ्य कार्ड, चिकित्सा जांच सहित मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं तक सबकी पहुँच ▪ संपूर्ण टीकाकरण ▪ आर्थिक स्थिति, लिंग एवं आयु–वर्ग का ध्यान रखे बिना संतुलित पोषण
कार्यनीति	▪ स्वास्थ्य अवसंरचना एवं सामग्रियों में कमी की पहचान करना और इसे दूर करना ▪ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों एवं पैरा–हैल्थ पेशेवरों की रिक्तियों का पता लगाना और भरना ▪ प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना तथा स्वास्थ्य एवं पैरा–हैल्थ पेशेवरों की क्षमता बढ़ाना, और हैण्डहोल्डिंग सहायता प्रदान करना ▪ आवास विशिष्ट शिविरों के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड जारी करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिरक्षण एवं डिवॉर्मिंग अभियान आयोजित करना ▪ वर्षभर स्ट्रीट थियेटर, पपेट्री और अन्य सामाजिक संचार के तरीको के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा पहलों का एक कलेंडर तैयार करना ▪ एनीमिया, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर व्यवहार एवं सामाजिक बदलाव के लिए स्वयंसेवी समूहों को प्रशिक्षित करना ▪ विद्यालयों में दोपहर के भोजन के कार्यक्रम और आंगनवाड़ी में पोषण की निगरानी करना और इसमें पर्याप्त सुधार करना
योजनाएँ	▪ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ▪ पोषण के लिए सबला एवं सक्षम योजनाओं सहित आईसीडीएस
आउटपुट	▪ तीन वर्षो में एमएमआर, आईएमआर, एनएमआर में पर्याप्त कमी ▪ तीन वर्षो में शिशुओं और पाँच वर्ष की आयु तक के बच्चों के प्रतिरक्षण में पर्याप्त वृद्धि और शिशुओं की अस्पतालों आदि में डिलीवरी। ▪ शिशुओं में एनीमिया के मामलों और ग्रेड–III एवं IV के कुपोषण में पर्याप्त कमी, किशोरियों, गर्भवती, और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में ग्रेड–I एवं II के कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करना एवं एनीमिया के मामलों में कमी लाना
परिणाम	▪ 100 प्रतिशत प्रतिरक्षण ▪ अस्पतालों आदि में 100 प्रतिशत डिलीवरी ▪ कुपोषण में कमी – विशेषकर, गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण की कमी ▪ स्वास्थ्य प्रदायगी और एनएचएम के निगरानी तंत्र की गुणवत्ता में पर्याप्त बदलाव ▪ ऐसे स्वास्थ्य एवं पैरा–हैल्थ पेशेवरों जो कि अगले वर्ष के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य कर सकें, की क्षमता में वृद्धि ▪ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संबंधित व्यवहारों एवं नजरियों में पर्याप्त बदलाव

2.2. कार्यकलापः सभी के लिए शिक्षा

उद्देश्य	▪ कक्षा दसवीं तक शैक्षिक सुविधाओं को सभी तक पहुंचाना ▪ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयों का 'स्मार्ट विद्यालयों' में रूपांतरण ▪ प्रौढ़ शिक्षा ▪ ई–साक्षरता ▪ ई–पुस्तकालय सहित ग्रामीण पुस्तकालय
कार्यनीति	▪ शिक्षा अवसंरचना एवं सामग्रियों में कमियों की पहचान करना और उन्हें दूर करना। ▪ प्रशिक्षित शिक्षा पेशेवरों की रिक्तियों की पहचान करना और इन्हें भरना ▪ प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना तथा शिक्षा पेशेवरों की क्षमता बढ़ाना, चल रहे प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता प्रदान करना। ▪ ग्राम पंचायत विद्यालयों का 'स्मार्ट विद्यालयों' में रूपांतरित करना। स्मार्ट विद्यालयों में आईटी आधारित क्लासरूम, ई–पुस्तकालय, वेब आधारित शिक्षण होगा और स्मार्ट विद्यालय सभी विद्यार्थियों को ई–साक्षर बनाएंगे। यह गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करके, अवसंरचना कमी को दूर करके प्रशिक्षित कर्मियों की पहचान करके और उन्हें योग्य बनाकर किया जाएगा। ▪ आवासों में युवा स्वयंसेवियों तथा विशिष्ट चर्चा समूहों के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा अभियान आयोजित करना। ▪ वर्ष भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों अर्थात नुक्कड़–नाटक, कठपुतली एवं अन्य सामाजिक संचार माध्यमों का प्रयोग। ▪ स्थानीय ज्ञान एवं सामग्री का प्रयोग करते हुए स्थानीय खिलौने एवं शिक्षा संसाधन केंद्र तैयार करना। ▪ एक ऐसे स्थानीय अखबार को शुरू करना जो कि संकल्पना आधारित हो और स्थानीय युवकों द्वारा संचालित हो। ▪ कला, साहित्य एवं समाज सुधार के क्षेत्रों से निर्धारित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ स्काइप सत्र ओयाजित करना। ▪ स्थानीय इतिहास पर प्रदर्शनियां एवं विशेषज्ञों की परिचर्चा आयोजित करना। ▪ ई–संसाधनों सहित एक पूर्ण रूप से कार्यात्मक पुस्तकालय का निर्माण करना/अथवा इसका इंतजाम करना, जिसमें एक प्रशिक्षित लाईब्रेरियन को तैनात किया जाएगा। ▪ ई–लर्निंग के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। ▪ युवा समूहों को संगठित करना जोकि यह सुनिश्चित करें कि खासतौर पर बच्ची सहित प्रत्येक बच्चा विद्यालय में है, कार्यरत बच्चों को ट्रांजिशन विद्यालयों के लिए प्रेरित किया जाए और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाए।
योजनाएँ	▪ सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) ▪ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) ▪ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) ▪ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) ▪ एमपीएलएडीएस
आउटपुट	▪ कम से कम दसवीं कक्षा तक प्रत्येक कक्षा के स्तर तक नामांकन, उपस्थिति, पूर्ति एवं ट्रांजिशन में पर्याप्त वृद्धि ▪ प्रथम वर्ष के बाद ड्रापआउट दर में पर्याप्त कमी और सभी कक्षाओं में प्रतिधारण में पर्याप्त वृद्धि ▪ प्राथमिक कक्षाओं में सीखने के न्यूनतम स्तर में सुधार ▪ सभी अवसंरचना एवं क्षमता–निर्माण की कमियों का पता लगाया गया है और दूर कर दिया गया है ▪ सभी रिक्त पदों को भरा जाए ▪ अंक एवं अक्षर ज्ञान के लिए वयस्क मूल्यांकित कार्यात्मक साक्षरता अभियान की ओर जा रहे हैं ▪ प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यक्ति कम्प्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करने के योग्य हों
परिणाम	▪ अध्ययन की आदत का विकास करना जिससे आपस में संबंधित विश्व में स्वयं एवं समुदाय की स्थिति के विषय में विश्व–परिदृश्य की जागरूकता बदलती है ▪ आत्म–विश्वास एंव आपसी सम्मान ▪ सौहाद्रपूर्ण विवाद समाधान सहित विकल्पों को स्पष्ट करने की योग्यता एवं निर्णय लेने की क्षमता आती है ▪ उन अधिकारों एवं जिम्मेवारियों के विषय में जागरूकता लाना जो जवाबदेही लाते हैं ▪ प्रौद्योगिकी का उपयुक्त ढंग से प्रयोग करने और वर्तमान विश्व में इसे अपनाने की योग्यता

3. सामाजिक विकास

3.1 कार्यकलापः सामाजिक विकास

उद्देश्य	निम्न के माध्यम से एक जीवंत एवं सुसंगत ग्राम समाज का सृजन करना
	▪ भारत निर्माण स्वयं सेवकों की तर्ज पर स्वयं सेवी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यकलापों
	▪ स्थानीय विकास में पूर्णतः भागीदार बनने और अंशदान करने के लिए जनता की क्षमता का निर्माण करना
	▪ गाँव के बुजुर्गों, स्थानीय आदर्श प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के सम्मान हेतु कार्यकलाप
	▪ हिंसा ओर अपराधमुक्त गाँवों के लिए कार्यकलाप अर्थात
	  ▪ नागरिक समितियाँ
	  ▪ युवाओं को संवेदनशील बनाना
	▪ गांव में खेलकूद और लोक कला महोत्सव आयोजित करना
	▪ लोगों में गौरव की भावना लाने के लिए अपने गाँव का गीत तैयार करना
	▪ 'ग्राम दिवस' का आयोजन करना

कार्यनीति	▪ नागरिक शिक्षा का आयोजन ▪ स्वास्थ्य शिविरों और प्रौढ़ साक्षरता अभियानों में युवा समूहों को शामिल करना। पुस्तकालयों के माध्यम से चर्चा समूहों का सृजन करना ▪ स्थानीय इतिहास और पहचान की पुर्नस्थापना/गाँव दिवस का चयन करना ▪ प्रदर्शनियों के जरिए ग्राम दिवस मनाना और ग्रामीण बुजुर्गों और स्थानीय रोल मॉडलों खासकर महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करना ▪ स्थानीय गीतों का संग्रह तैयार करना ▪ गांव की झलक दिखाने वाले नए गीत के सृजन हेतु विभिन्न समूहों के लिए प्रतियोगिताएँ शुरू करना, विभिन्न महोत्सवों और अवसरों पर गाए जाने वाले ग्राम्य गीतों का चयन करना ▪ ऐसे स्थानीय लोक संगीत और कला महोत्सवों की शुरूवात करना जिनमें भारत की विविधता की झलक दिखती हो ▪ शांतिपूर्ण वातावरण और अपराधमुक्त ग्राम्य जीवन हेतु नागरिक – मोहल्ला समितियों का आयोजन करना ▪ महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता जाग्रत करने वाले कार्यक्रमों और शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करने वाले शैक्षिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना ▪ स्थानीय उत्पादन और उत्पादकता प्रथा रोजगार के लिए ग्राम स्तरीय चर्चा का आयोजन करना
योजनाएँ	▪ भारत निर्माण स्वयंसेवक ▪ युवा क्लब योजनाएँ ▪ एमपीएलएडीएस ▪ उपयुक्त योजनाओं का आईईसी घटक
आउटपुट	▪ वार्षिक कार्यकलापों के कार्यक्रम के माध्यम से सामुदायिक विकास हेतु युवा स्वयंसेवी समूहों का आयोजन करना और उन्हें बनाएं रखना ▪ नागरिक समितियों का गठन करना ▪ आपसी झगड़ों और अपराधों विशेष रूप से महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों में महत्वपूर्ण कमी लाना
परिणाम	▪ एकीकृत और सुसंगत गाँव ▪ अपराधमुक्त समाज ▪ स्व. अभिव्यक्ति हेतु जागरूकता, ज्ञान और अवसरों में वृद्धि

3.2 कार्यकलाप : स्वच्छ गाँव

उद्देश्य	सार्वत्रिक स्वच्छता में शामिल होंगे – ▪ सभी परिवारों के लिए शौचालय ▪ सभी सार्वजनिक संस्थानों में शौचालय ▪ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन ▪ शौचालय से संबद्ध बायोगैस संयंत्र

कार्यनीति	▪ गैर–वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय वाले सभी घरों की पहचान करना और प्रत्येक परिवार के लिए शौचालयों के निर्माण में सहायता प्रदान करना। ▪ ग्राम पंचायत में सभी सार्वजनिक संस्थानों में शौचालयों का निर्धारण करना और निर्माण कार्य के लिए सहायता प्रदान करना। ▪ आईईसी द्वारा वैयक्तिक और संस्थागत दोनों प्रकार के शौचालय का सृजन करना और इनके प्रयोग को बढ़ावा देना। ▪ तरल अपशिष्ट उपचार खड्डों के साथ ढकी हुई नालियों का निर्माण करना। ▪ कचरा इक्टठा करना, उसकी छटनी करना और उसे समाप्त करने की प्रणाल विकसित करना। ▪ खुले में शौच प्रथा से मुक्त गाँव हेतु युवा समूहों और सामाजिक संप्रेषण पद्धतियों जैसे कि नुक्कड़ नाटक एवं कटपुतली कार्यक्रमों के माध्यम से साफ–सफाई तथा स्वच्छता के लिए व्यवहार में बदलाव के लिए अभियानों की शुरूआत करना। ▪ विशेष ग्राम पंचायतों के संदर्भ में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और चरण बद्ध तरीके से शुरूआत करना
योजनाएँ	▪ मनरेगा ▪ स्वच्छ भारत अभियान ▪ एमपीएलएडीएस
आउटपुट	▪ निर्मल ग्राम के मानकों को पूरा करना ▪ वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय और ग्राम पंचायतों में शौचालयों के सावर्जकि ढांचे को पूरी तरह से निर्मित करना ▪ कार्यक्षम ठोस एवं तरल अपशिश्ट प्रबंधन प्रणालियों
परिणाम	▪ खुले में शौच प्रथा से मुक्त गाँव ▪ स्वच्छ गलियाँ एवं सार्वजनिक स्थान

4. आर्थिक विकास

4.1 पशुपालन और बागवानी सहित विविध कृषि संबंधी आजीविकाओं को बढ़ावा देना, जिसके माध्यम हैं-

उद्देश्य	▪ स्थायी कृषि और जैविक खेती
कार्यनीति	▪ कृषक समूहों विशेष रूप से महिलाओं को जैविक खेती के लिए तकनीकी का हस्तांतरण करना ▪ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना ▪ स्थानीय बीज भण्डारों की स्थापना करना ▪ एसआरआई (सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसीफिकेशन) की तरह क्रौप इंटेंसीफिकेशन ▪ सूक्ष्म सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई के लिए सोलर पम्पिंग सिस्टम ▪ एग्रो सेवा केन्द्र
योजनाएँ	▪ कृषि मंत्रालय की योजनाएँ ▪ एनआरएलएम के अंतर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ▪ मनरेगा
आउटपुट	▪ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए ▪ बीज भण्डार स्थापित किए गए ▪ एसआरआई का प्रयोग किया ▪ सूक्ष्म सिंचाई हेतु अवसंरचना तैयार की गई और एग्रो सेवा केन्द्र स्थापित किए गए
परिणाम	▪ रासायनिक खादों के प्रयोग में कमी ▪ रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में कमी ▪ जैविक खादों के उत्पादन और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि ▪ उचित किराए पर फार्म मशीनरी उपलब्ध

4.2 ग्रामीण औद्योगिकीकरण

उद्देश्य	▪ गोबर बैंक, पशु हॉस्टल सहित पशुधन विकास करना ▪ फसल कटने के बाद की प्रौद्योगिकी का उपयोग ▪ खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी प्रसंस्करण ▪ अन्य सूक्ष्म उपक्रम
कार्यनीति	▪ बेहतर प्रबंधन पद्धतियों और सुनियोजित लिंकेज के माध्यम से मवेशी आधारित आजीविका को बढ़ावा देना ▪ पशु स्वास्थ्य अभियानों और मेलों का आयोजन करना ▪ जैविक खाद के लिए गोबर बैंकों की स्थापना करना ▪ गाँव में सभी पशुओं की बेहतर देखभाल और उत्पादकता में सुधार के लिए मॉडल के रूप में बायोगैस उत्पादन की लिंकेज के साथ पशु हॉस्टल में आधुनिक समेकित सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना ▪ ग्राम–स्तर पर पैदावार का श्रेणीकरण और छंटनी करना ▪ विकेन्द्रीकृत लघु खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलाप ▪ लघु डेयरी प्रसंस्करण को ऐसे उत्पाद के विपणन के साथ जोड़ना ▪ पारम्परिक हस्तकौशल वाले व्यवसायों जैसेकि बुनाई, और कुम्हारी से लेकर आधुनिक कुटीर एवं लघु उद्योगों तक ग्रामीण उद्योगों को पुर्नजीवित करना ▪ इको–टूरिज्म सहित ग्रामीण पर्यटन से संबंधित कार्यकलाप
योजनाएँ	▪ कृषि मंत्रालय विशेष रूप से डेयरी एवं पशुपालन विभाग की योजनाएँ। एनडीडीबी और नाबार्ड से सहायता ▪ मनरेगा ▪ खाद्य प्रसंस्करण विभाग और डेयरी एवं पशुपालन विभाग की योजनाएँ ▪ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपकरण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय की योजनाएँ
आउटपुट	▪ वर्कशैडों का निर्माण ▪ मार्किट लिंकेज की स्थापना (विशेषतः सहकारी समितियाँ) ▪ पशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की स्थापना और कार्य ▪ फसल कटाई के बाद भण्डारण और कृषि और सृजित श्रेणीकरण की सुविधा ▪ प्रसंस्करण यूनिटें/स्थापित सहकारी यूनिटें ▪ स्थापित ग्रामीण उपक्रम यूनिटें
परिणाम	▪ पशुपालन आधारित आयों में वृद्धि ▪ कृषि एवं संबंधित पैदावारों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण ▪ कृषि एवं डेयरी पैदावार का मुख्य और पर्याप्त हिस्सा बाहरी बाजार में ले जाने से पूर्व गाँव मं ही प्रसंस्कृत किया जाता है ▪ रोजगार और आय में वृद्धि

4.3 सभी पात्र युवाओं का कौशल विकास

उद्देश्य	▪ ग्रामीण समुदायों की आजीविका बढ़ाने के लिए उनका कौशल विकास करना
कार्यनीति	▪ कौशल विकास की माँग और कौशल विकास में कमी का निर्धारण करना ▪ समुचित प्रशिक्षण और प्रमाणन एजेंसियों की पहचान करना ▪ स्व–रोजगार और औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के लिए कौशल विकास करना ▪ विद्यालयों मे व्यवसायिक शिक्षा की शुरूआत करना ▪ नियोक्ताओं और रोजगार के अवसरों का निर्धारण करना ▪ स्व–रोजगार अवसरों की पहचान और सहायता सेवाओं की स्थापना करना ▪ स्थायी रोजगार के लिए सतत् कौशल उन्नयन ▪ मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास ▪ प्रशिक्षित युवाओं की प्रगति जानने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली
योजनाएँ	▪ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ▪ आजीविका कौशल ▪ आरएसईटीआई ▪ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय की योजनाएँ
आउटपुट	▪ प्रशिक्षित कुशल युवा
परिणाम	▪ कौशल विकास स्तरों मे महत्वपूर्ण वृद्धि ▪ लाभकारी रोजगार और आजीविका वृद्धि

4.4 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन और वित्तीय समावेशन

उद्देश्य	▪ महिला स्व–सहायता समूहों का गठन एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है जो वित्तीय समावेशन के लिए महिला सशक्तिकरण से लेकर आजीविका को बढ़ावा देते हुए बहु–परिणाम उपलब्ध कराती है। आदर्श गाँव सभी सामाजिक समूहों से महिलाओं को एक साथ लाते हुए स्व–सहायता समूहों की आर्थिक परिस्थिति सुधार करके महिलाओं को वैयक्तिक तौर पर तथा सामूहिक तौर पर बैंकों से जोड़ पाएंगे।
कार्यनीति	▪ सहभागितापूर्ण गरीबों की पहचान (पीआईपी) के माध्यम से सार्वत्रिक समावेशन ▪ महिलाओं के स्व–सहायता समूहों का गठन और ग्राम पंचायत तथा कलस्टर स्तर पर उनके संघों का गठन। ▪ बैंकों से जोड़ना ▪ यह सुनिश्चित करना कि सभी महिला स्व–सहायता समूह के सदस्य वैयक्तिक तौर पर प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारक हैं
योजनाएँ	▪ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ▪ प्रधानमंत्री जन धन योजना
आउटपुट	▪ स्व–सहायता समूहों का गठन और कार्य ▪ वैयक्तिक बैंक खाता खोलना ▪ बैंकों से संपर्क जोड़ना ▪ पारिवारिक एवं सामूहिक उपक्रम स्थापित करना
परिणाम	▪ उन्नत आजीविकाओं के माध्यम से आय में वृद्धि ▪ बचत करने की आदत

4.5 मनरेगा के तहत रोजगार

उद्देश्य	▪ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मनरेगा का कार्यान्वयन करना
कार्यनीति	▪ रोजगार दिवस के माध्यम से प्रभावी माँग पंजीकरण ▪ बेहतर सहभागितापूर्ण आयोजना ▪ माँग के अनुसार कार्यों का प्रावधान ▪ मजदूरी का समय से भुगतान ▪ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद परिसंपतियों का निर्धारण और सृजन
योजनाएँ	▪ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
आउटपुट	▪ माँग के अनुसार रोजगार का प्रावधान ▪ गुणवत्तापूर्ण उत्पाद परिसंपतियों का सृजन
परिणाम	▪ आय में वृद्धि और गरीबी उपशमन

5. पर्यावरण विकास

5.1 कार्यकलाप : सड़क के किनारे वृक्षारोपण, वासभूमि, विद्यालयों एवं सार्वजनिक संस्थानों में वृक्षारोपण तथा समाज वानिकी।

उद्देश्य	▪ ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का विस्तार
कार्यनीति	▪ वासभूमि एवं सार्वजनिक स्थानों विशेषरूप से सड़क के किनारों, नालों के किनारों, सार्वजनिक स्थलों और खेतों की मेढ़ों पर ऐसे पेड़ लगाना जिनका आर्थिक, पर्यावाणिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व हो ▪ गाँव के आस–पास हरित क्षेत्र विकसित करना ▪ गरीब परिवारों को सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पेड़ों पर मालिकाना हक देना ▪ स्थानीय पौधशालाओं का विकास करना ▪ रख–रखाव पर होने वाले व्यय के भुगतान के लिए प्रणाली का सरल बनाना
योजनाएँ	▪ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ▪ राष्ट्रीय बागवानी मिशन ▪ पर्यावरण, वन एवं जल–वायु परिवर्तन मंत्रालय की योजनाएँ (जैसा कि सीएएमपीए)

आउटपुट	▪ वृक्षारोपण और विविध प्रजातियों की पौधशालाएँ ▪ ग्राम पौधशाला के विकास के वृद्धजनों और विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा
परिणाम	▪ वृक्षारोपण से आय और रोजगार ▪ मृदा–अपरदन ▪ हरियाली में वृद्धि ▪ जल–वायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी

5.2 कार्यकलाप : वाटरशेड प्रबंधन विशेष रूप से पारंपरिक जल निकायों का पुनरूद्धार

उद्देश्य	▪ सिंचाई को बेहतर बनाकर, निकासी को बेहतर बनाकर और भू–क्षरण/अपरदन की रोकथाम के माध्यम से आजीविकाओं को बढ़ाने के लिए वाटरशेड प्रबंधन के सिद्धांतों सहित गाँव का विकास करना
कार्यनीति	▪ वाटरशेड की स्थिति का वैज्ञानिक और भागीदारीपूर्ण मूल्यांकन और सुधारात्मक उपाय तैयार करना
योजनाएँ	▪ आईडब्लयूएमपीएवं मनरेगा
आउटपुट	▪ सृजित, पुनर्जीवित, पुनर्वासित की गई जल संचयन और मृदा संरक्षण संरचनाएँ
परिणाम	▪ सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि ▪ बेहतर निकासी ▪ भू–जल–स्तर में वृद्धि

5.3 कार्यकलाप : हवा, पानी और भूमि के स्थानीय प्रदूषण को कम करना

उद्देश्य	▪ हवा, पानी और भूमि प्रदूषण के प्रभावों को धीमें करने के साथ–साथ कम करना
कार्यनीति	▪ गाँव को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का त्वरित एवं भागीदारीपूर्ण मूल्यांकन ▪ गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाना ▪ मृदा परीक्षण एवं मृदा हेल्थ कार्ड तैयार करना ▪ बायोगैस से जुड़ी कंपोस्टिंग एवं फार्मयार्ड खाद तैयार करना ▪ पॉलीथीन के थैलों और अन्य हानिकारक प्रदूषकों के उपयोग पर सामाजिक पाबंदी लगाना ▪ रसोई घरों के लिए उन्नत चूल्हा
योजनाएँ	▪ मनरेगा के साथ–साथ एमएनआरई की योजनाएँ ▪ कृषि मंत्रालय की योजनाएँ
आउटपुट	▪ अवशिष्ट एवं प्रदूषण को कम करने के लिए सामाजिक एवं वास्तविक अवसंरचना
परिणाम	▪ प्रदूषण में कमी और अपशिष्ट का लाभदायी उपयोग ▪ बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ▪ सुन्दर माहौल्

5.4 वर्षा जल संचयन: छत पर से या अन्य स्थानों पर जल संचयन

उद्देश्य	▪ ग्रामीण भारत में पारंपरिक पद्धति के रूप में वर्षा जल संचयन की लोकप्रियता
कार्यनीति	▪ व्यक्तिगत घरों के साथ ही सार्वजनिक भवनों में शौचालय इकाईयों से जुड़ा छत के ऊपर वर्षा जल संचयन ▪ मरूस्थल और अन्य कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ईरिस, कुंड, टांका और टंकली जैसी संरचनाएं
योजनाएँ	▪ एनआरडीडब्ल्यूपी (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) ▪ मनरेगा
आउटपुट	▪ बनाए गए और पुनर्जीवित की गई आईडब्ल्यूएमपी संरचनाएं
परिणाम	▪ पीने और अन्य प्रयोजनों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि

6. बुनियादी सुविधाएँ

6.1 कार्यकलाप : सभी भूमिहीन गरीबों/कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए पक्के मकान

उद्देश्य	▪ सभी भूमिहीन गरीबों/कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए पक्के मकान
कार्यनीति	▪ अस्थायी संरचनाओं में रह रहे सभी परिवारों का निर्धारण करना और असुरक्षा के आधार पर उनको प्राथमिकता देना–वृद्धों एवं एकल सदस्य परिवारों को पर्याप्त प्राथमिकता देना ▪ व्यवहार्य समूहों में जहां तक संभव हो आवास के निर्माण को पूरा करना
योजनाएँ	▪ इंदिरा आवास योजना
आउटपुट	▪ सभी के लिए टिकाऊ, स्थायी मकान
परिणाम	▪ बेहतर सेहत तथा सम्मानजनक रहन–सहन

6.2 कार्यकलाप : पेयजल, विशेषकर घरों को नल का शुद्ध पानी को प्राथमिकता देना

उद्देश्य	▪ पेयजल, घरों के नलों के साथ पाइप के पानी को प्राथमिकता देना
कार्यनीति	▪ पेयजल के मौजूदा एवं संभावित स्रोतों की पहचान का सर्वे ▪ वर्तमान और भविष्य के आवास की विशिष्ट आवश्यकताओं का मूल्यांकन ▪ मौजूदा स्रोतों का शुद्धीकरण, पुनरूद्धार और उनका नियमित रखरखाव करना ▪ ग्रामीण जल सुरक्षा योजना की तैयारी
योजनाएँ	▪ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
आउटपुट	▪ सभी परिवारों के लिए पाइप से जुड़े पानी का कनेक्शन
परिणाम	▪ स्वास्थ्य में सुधार, प्रदूषित पानी से हाने वाली बीमारी जैसे डायरिया आदि में कमी

6.3 कार्यकलाप : कवर किए गए नालों सहित आंतरिक बारहमासी सड़कें और मुख्य नेटवर्क से बारहमासी सड़क संपर्कता

उद्देश्य	▪ कवर किए गए नालों सहित आंतरिक बाहरमासी सड़कें और मुख्य नेटवर्क से बारहमासी सड़क संपर्कता
कार्यनीति	▪ गाँव के अंदर और बाहर मौजूद कच्ची सड़कों की सूची बनायी जाए और इन्हें पक्का बनाया जाए
योजनाएँ	▪ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ▪ मनरेगा ▪ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
आउटपुट	▪ सभी बारहमासी सड़कों का निर्माण पूरा करना जो कि आवश्यक मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित किए गए अनुसार किलोमीटर की लक्ष्य संख्या को पूरा करती है
परिणाम	▪ गाँवों तक और गाँवों से बेहतर संपर्कता जिससे आर्थिक कार्यकलाप और बाजारों के साथ–साथ सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि होगी

6.4 कार्यकलाप : ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों विशेष रूप से सौर ऊर्जा सहित सभी घरों तक बिजली कनेक्शन

उद्देश्य	▪ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों विशेष रूप से सौर ऊर्जा सहित सभी परिवारों तक बिजली कनेक्शन तथा स्ट्रीट लाइट
कार्यनीति	▪ नियत भू–भाग में नवीकरणीय ऊर्जा के सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत की पहचान (उदाहरण हवा, सौर ऊर्जा, माइक्रो हाइड्रो इत्यादि) ▪ बिजली से न जुड़े घरों का बुनियादी सर्वेक्षण ▪ नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों सहित बिजली कनेक्शन देना ▪ वंचित परिवारों और सार्वजनिक भवनों को प्राथमिकता दी गई
योजनाएँ	▪ राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ▪ एमएनआरई योजनाएँ

आउटपुट	▪ गाँवों में घरों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण ▪ स्ट्रीट लाईट ▪ टेलीकॉम एवं इंटरनेट के माध्यम से संपर्कता में वृद्धि
परिणाम	▪ आर्थिक कार्यकलाप में वृद्धि तथा गाँवों में घरों की आय मं वृद्धि

6.5 कार्यकलाप : सार्वजनिक संस्थानों जैसे - आंगनवाड़ी, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, ग्राम पंचायत कार्यालय, पुस्तकालयों के लिए पक्की अवसंरचना

उद्देश्य	▪ सार्वजनिक संस्थानों – आंगनवाड़ी, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, ग्राम पंचायत कार्यालय, पुस्तकालयों के लिए पक्की अवसंरचना ▪ सभी सार्वजनिक भवन विशेष रूप से विद्यालय पर्यावरण अनुकूल स्थानीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बनाए जाएंगे और इनमें विस्तृत वृक्ष कवरेज भी होगी
कार्यनीति	▪ भागीदारीपूर्ण आयोजना तरीकों के माध्यम से, सार्वजनिक अवसंरचना की जरूरतों के लिए प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जाएगा ▪ यथासंभव मौजूदा अवसंरचना की मरम्मत और नवीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी ▪ विभिन्न भवनों के निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण ▪ अनुमानों को तैयार करने, टेंडर प्राप्त करने और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तकनीकी सहायता एवं पर्यवेक्षण प्रदान करना ▪ योजना दिशा–निर्देशों के अनुरूप इन भवनों में अवरोध मुक्त पहुँच सहित पूर्ण रूप से कार्यकारी सुविधाओं को सुनिश्चित करना
योजनाएँ	▪ मनेरगा, ▪ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि ▪ आरजीपीएसए ▪ सर्व शिक्षा अभियान ▪ आईसीडीएस
आउटपुट	▪ मौजूदा सार्वजनिक अवसंरचना की मरम्मत/नवीकरण ▪ अच्छी गुणवत्ता वाली आंगनवाड़ी, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, ग्राम पंचायत कार्यालय एवं पुस्तकालय का निर्माण, ऐसे स्थानों पर जहाँ ये सुविधाएँ नहीं हें और गाँवों में पूर्ण रूप से कार्यकारी सार्वजनिक सेवाओं की शुरुवात
परिणाम	▪ सार्वजनिक संस्थानों, विशेष रूप से स्वास्थ्य एवं पोषण से जुडे संस्थानों के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, ▪ अधिक सुगम्य ग्राम पंचायतें ▪ अध्ययन की आदतों का विकास और सीखने के स्तर में सुधार

6.6 कार्यकलाप : सामुदायिक हॉल, एसएचजी संघों के लिए भवन, खेल के मैदान,पीडीएस आउटलेट्स और कब्रगाह/शमशान घाट सहित जन सुविधाएँ/अवसंरचना।

उद्देश्य	▪ सामुदायिक हॉल, एसएचजी संघों के लिए भवन, खेल के मैदान, पीडीएस आउटलेट्स और कब्रगाह/शमशान घाट सहित जन सुविधाएँ/अवसंरचना
कार्यनीति	▪ भागीदारीपूर्ण आयोजना प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न सिविक अवसंरचना के निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण ▪ अनुमानों को तैयार करने, टेंडर प्राप्त करने और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तकनीकी एवं पर्यवेक्षण प्रदान करना
योजनाएँ	▪ मनरेगा, ▪ पिछड़ी क्षेत्र अनुदान निधि, ▪ सर्व शिक्षा अभियान, ▪ एपपीएलएडीएस, ▪ राजीव गांधी खेल अभियान
आउटपुट	▪ अच्छी गुणवत्ता वाली सामुदायकि परिसंपत्तियों का निर्माण
परिणाम	▪ सुदृढ़ एसएचजी, युवाओं के बीच शारीरिक और मनोरंजनात्मक कार्यकलापों में वृद्धि, सामुदायिक समारोहों और त्योहारों का बेहतर आयोजन, बेहतर ढंग से कार्य करने वाले पीडीएस आउटलेट्स

6.7 कार्यकलाप : ग्रामीण बाजार

उद्देश्य	▪ सुचारू रूप से कार्य कर रहे और किफायती ग्रामीण बाजार को तैयार करना
कार्यनीति	▪ निर्मित किए जाने वाले ग्रामीण बाजार के स्थान, आकार और स्वरूप के निर्धारण के लिए उत्पादक समूहों के साथ परामर्श करना ▪ अनुमानों को तैयार करने, टेंडर प्राप्त करने और निर्माण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तकनीकी सहायता एवं पर्यवेक्षण प्रदान करना
योजनाएँ	▪ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ▪ मनरेगा
आउटपुट	▪ कार्यनीतिक स्थानों में ग्रामीण बाजारों का निर्माण
परिणाम	▪ कृषि उत्पाद की बेहतर मार्केटिंग और बिक्री, परिवारों की आय में वृद्धि

6.8 कार्यकलाप : माइक्रो मिनि बैंक/डाकघर/एटीएम और यूआईडीएआई कार्ड का प्रावधान

उद्देश्य	▪ सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सक्षम बैंकिंग नेटवर्क का संयोजन सुनिश्चित करना
कार्यनीति	▪ स्थानीय क्षेत्रों में बैंक और डाकघरों की मौजूदा कवरेज का सर्वे करना ▪ अनारक्षित क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम का विस्तार करने के लिए बैंकिंग सहभागियों का निर्धारण करना ▪ खाते खोलना ▪ नामांकन शिविरों का संचालन करना और घर–घर जाकर यूआईडीएआई कार्डों का वितरण करना
योजनाएँ	▪ वित्तीय सेवा विभाग की प्रधानमंत्री जन धन योजना और अन्य योजनाएँ ▪ बीआरजीएफ ▪ वित्त आयोग अनुदान
आउटपुट	▪ सभी का 100% वित्तीय समावेशन ▪ शत–प्रतिशत आधार नामांकन
परिणाम	▪ बचत बढ़ाना, आय से संबंधी जोखिमों के प्रभाव को कम करना और जीवन के स्तर को बेहतर बनाना

6.9 कार्यकलाप : ब्रॉड बैंड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और सामान्य सेवा केंद्र

उद्देश्य	▪ ब्रॉड बैंड, टेलीकॉम कनेक्टिविटी और सामान्य सेवा केंद्र
कार्यनीति	▪ सामान्य सेवा केंद्र को ग्राम पंचायत कार्यालय के भाग के तौर पर बनाया जा सकता है ▪ मॉड्यूल्स और नियमित कक्षाओं के माध्यम से नागरिकों को ई–साक्षरता में मदद दी जा सकती है
योजनाएँ	▪ डीईआईटीवाई की सीएससी योजना ▪ नेशनल ऑप्टिकल फाइवर नेटवर्क (एनओएफएन) ▪ दूर संचार विभाग की योजनाएँ
आउटपुट	▪ इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी में 100% पहुंच रखना
परिणाम	▪ डिजिटल डिवाइड की कमी को पूरा करना ▪ डिजिटल साक्षरता, अधिक से अधिक जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना, अभिनव पहलों के लिए बढ़े हुए अवसर

7. सामाजिक सुरक्षा

7.1 कार्यकलाप : सभी पात्र परिवारों-वृद्ध, विकलांग, विधवा के लिए पेंशन

उद्देश्य	▪ सेच्यूरेशन के सिद्धांत के आधार पर सभी पात्र व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कवरेज करना
कार्यनीति	▪ एनएसएपी और राज्य सामाजिक पेंशन योजनाओं के अंतर्गत घर–घर जाकर सभी पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण का निर्धारण करना ▪ पेंशन की समयबद्ध मंजूरी ▪ बैंक/पीओ खाता खोलना ▪ माइक्रो एटीएम के माध्यम से पेंशन का समय पर भुगतान

योजनाएँ	▪ आईजीएनओएपीएस, आईजीएनडब्ल्यूपीएस, आईजीएनडीपीएस और ▪ अन्य राज्य सामाजिक पेंशन योजना
आउटपुट	▪ सभी पात्र पेंशन लाभार्थी समय से अपने खातों में भुगतान की राशि प्राप्त करते हैं
परिणाम	▪ बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य और आमदनी संबंधी समस्याओं को दूर करके सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान करना

7.2 कार्यकलाप : बीमा योजना

उद्देश्य	▪ बीमा योजनाओं की व्यापक कवरेज
कार्यनीति	▪ पीएमजेडीवाई, आरएसबीवाई और एबीवाई के अंतर्गत घर–घर जाकर सभी पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण का निर्धारण करना ▪ बीमे की समयबद्ध स्वीकृति ▪ स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के इस्तेमाल से दावों को तैयार करने की प्रणाली
योजनाएँ	▪ आम आदमी बीमा योजना ▪ आरएसबीवाई / राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना ▪ पीएमजेडीवाई
आउटपुट	▪ कार्यक्रम कवरेज के अंतर्गत एबीवाई और आरएसबीवाई के सभी पात्र परिवारों को पूरी तरह शामिल करना ▪ पीएमजेडीवाई के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को शामिल करना
परिणाम	▪ स्वास्थ्य और आय संबंधी जोखिमों को दूर करके सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना

7.3 कार्यकलाप : पीडीएस- सभी पात्र परिवारों तक पहुंचना

उद्देश्य	▪ पीडीएस की व्यापक कवरेज
कार्यनीति	▪ घर–घर जाकर लाभार्थियों का निर्धारण करना और एनएफएसए के प्रावधानों के अनुसार सभी को राशन कार्ड वितरण करना ▪ एनएफएसए के प्रावधानों के अनुसार परिवारों को समय से उनकी हकदारी के आधार पर अनाज का वितरण करना ▪ पीडीएस संस्थाओं का सामाजिक लेखा परीक्षण करना
योजनाएँ	▪ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ▪ राज्य पीडीएस योजनाएँ
आउटपुट	▪ एनएफएसए के सभी प्रावधानों का कार्यान्वयन
परिणाम	▪ खाद्य सुरक्षा में वृद्धि और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार

8. सुशासन

8.1 ग्राम पंचायत को सुदृढ़ बनाना

उद्देश्य	▪ स्थानीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना और ग्राम पंचायतों की क्षमता में सुधार करना ताकि विशेष तौर पर सार्वजनिक सेवा प्रदायगी के संबंध में ग्राम पंचायत अपने कार्यों का निष्पादन कर सके
कार्यनीति	▪ पंचायत भवन जैसी ग्राम पंचायतें, कम्प्यूटर आदि के लिए आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध करना ▪ निर्वाचित पदाधिकारियों और अधिकारियों में क्षमता निर्माण करना ▪ पंचायतों की स्थायी समितियों को गतिशील बनाना ▪ कार्यात्मक समितियों का सृजन करना और वाटरशेड समितियां, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समितियां, पीटीए जैसे भागीदारी मंच को सक्रिय बनाना
योजनाएँ	▪ बीआरजीएफ ▪ आरजीपीएसए ▪ मनरेगा

आउटपुट	▪ ग्राम पंचायतों के लिए बेहतर आधारभूत संरचना ▪ कार्यकारी समितियां ▪ प्रशिक्षित पदाधिकारी
परिणाम	▪ गहन स्थानीय लोकतंत्र

8.2 कार्यकलाप : सामाजिक लेखा परीक्षा

उद्देश्य	▪ ग्राम सभा सभी घटकों की अर्द्धवार्षिक सामाजिक लेखा परीक्षा करता है
कार्यनीति	▪ सामाजिक लेखा परीक्षा का संचालन करने में ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की मदद के लिए राज्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई (एसएयू) में सहयोग करना ▪ सामाजिक लेखा परीक्षा करने के 15 दिन पहले उपर्युक्त एकत्रित की गई जानकारी को समुदायों के सदस्यों, एसएचजी सदस्यों, ग्रामीण संसाधन व्यक्तियों, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई के जिला संसाधन व्यक्तियों को दी जाएगी ▪ व्यक्तिगत प्रमाणों सहित अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए घर–घर जा कर शत–प्रतिशत सत्यापन का संचालन करना ▪ सत्यापन के दौरान व्यक्तिगत प्रमाणों और शिकायतों का लिखित में रिकार्ड रखना ▪ सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा का संचालन करना ताकि ग्राम सभा में उपस्थित कार्यान्वयन एजेंसियों, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों इत्यादि के पदाधिकारियों के सामने सामाजिक लेखा परीक्षाओं के परिणाम को पढ़ा जा सके, तथा निर्णय लिया जा सके
योजनाएँ	▪ सभी योजनाएँ
आउटपुट	▪ ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा पूरी कर लेने के बाद चुनिंदा ग्राम पंचायतों में सभी योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है
परिणाम	▪ समुदाय के सामने सार्वजनिक निधियों के व्यय की पूर्ण पारदर्शिता

8.3 स्वतः प्रकटीकरण

उद्देश्य	▪ कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित समग्र जानकारी को स्वतः पब्लिक डोमेन में डालना

कार्यनीति	▪ सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के माध्यम से चुनिंदा ग्राम पंचायतों में किए जा रहे सभी कार्यक्रमों/कार्यकलापों के संबंध में जानकारी की श्रेणी का निर्धारण करना
	  ▪ जिम्मेदार पदाधिकारियों का कार्य करने के लिए पद का नाम और पत्राचार ब्यौरे का जॉब चार्ट
	  ▪ कार्यक्रम/कार्यकलापों के अंतर्गत लाभार्थियों का पूर्ण निर्धारण करना
	  ▪ सेवा मानकों सहित लाभ की प्रदायगी की शर्तें
	  ▪ ग्राम पंचायत के कार्यक्रम/कार्यकलाप के लाभार्थियों की सूची
	  ▪ प्रत्येक लाभार्थी को आवंटित लाभ/राशि
	  ▪ लाभार्थियों की प्राथमिकता का क्रम
	  ▪ ग्राम पंचायत में योजना के लिए मदवार स्वीकृत बजट और व्यय
	  ▪ ब्लॉक और जिला स्तर से संबंधित विभाग द्वारा रखे गए रिकार्डो का विवरण
	  ▪ पीआईओ का नाम और संपर्क संबंधी ब्यौरे
	▪ ग्राम पंचायत के लिए यह जानकारी एकत्रित करना और ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर वॉल पेंटिंग्स, नोटिस बोर्ड के माध्यम से इसके प्रकटीकरण को सुनिश्चित करना

योजनाएँ	▪ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
आउटपुट	▪ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के सभी प्रावधानों के साथ ग्राम पंचायत का अनुपालन करना
परिणाम	▪ समुदाय के सामने सार्वजनिक निधियों के व्यय की पूर्ण पारदर्शिता

8.4 कार्यकलाप : समय से शिकायतों का निपटान करना

उद्देश्य	▪ निर्धारित समय सीमा के अंदर नागरिकों की सभी शिकायतों के निपटान को सुनिश्चित करना
कार्यनीति	▪ चुनिंदा गाँवों के सभी निवासी पंचायत को अपनी शिकायत लिखित रूप में दे सकेंगे और इसके साथ ही उन्हें तारीखयुक्त पावती दी जाएगी ▪ ग्राम पंचायत समुदाय के सदस्यों की शिकायत दर्ज करने के लिए प्रतिदिन खुले रहेंगे ▪ ग्राम पंचायत प्राप्त शिकायतों को निपटान के लिए संबंधित विभाग को भेजेगा ▪ संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायत दर्ज करने के 21 दिन के भीतर शिकायतकर्ता को लिखित जवाब प्राप्त हो, जिसमें शिकायत के संबंध में लिए गए निर्णय और परिणामों की जानकारी हो ▪ पंचायतें नियमित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में शिकायतों की सुनवाई करेंगी, जहां शिकायतों को सुना जाएगा और सार्वजनिक तौर पर निपटान किया जाएगा
योजनाएँ	▪ सभी योजनाएँ
आउटपुट	▪ नागरिकों की शिकायतों का समय से निपटान करना
परिणाम	▪ ग्राम पंचायत में शुरू की जाने वाली सभी विकास योजनाओं के संबंध में एक समान और मानक शिकायत निपटान तंत्र स्थापित करना

8.5 कार्यकलाप : विभाग के नागरिक चार्टर के अनुरूप समयबद्ध सेवा प्रदायगी

उद्देश्य	▪ नागरिक चार्टर के अनुरूप समयबद्ध सेवा प्रदायगी ▪ सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ई–शासन
कार्यनीति	▪ योजना का नागरिक चार्टर तैयार करना जिसमें अनिवार्य रूप से मुख्य सेवाएं, जॉब चार्टर और सेवा मानकों को शामिल किया जाएगा ▪ समुदाय के सभी सदस्यों को चार्टर की विषय सूची संप्रेशित और प्रसारित करना ▪ सरकारी और पंचायत कर्मियों की नियमित एवं समय पर हाजिरी सुनिश्चित करना ▪ निर्धारित समय सीमा में यदि नागरिकों को सेवाएँ प्रदान नहीं की जाती है, तो शिकायतें दर्ज करने में नागरिकों की मदद करना और उसके निपटान को सुनिश्चित करना ▪ ग्राम पंचायत को कम्प्यूटर उपलब्ध कराना ▪ स्थानीय योजना के लिए प्रिया सॉफ्ट, प्लॉन प्लस, नरेगा सॉफ्ट, आवास सॉफ्ट और जीआईएस आधारित एप्लिकेशन और कार्यक्रमों की निगरानी और शिकायतों के निपटान के लिए मोबाइल आधारित एप्लिकेशन जैसे ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन से अवगत कराना और शिकायत का निपटान करना ▪ ई–गवर्नेंस के लिए क्षमता निर्माण करना
योजनाएँ	▪ आरजीपीएसए ▪ मनरेगा ▪ एमपीएलएडीएस ▪ बीआरजीएफ
आउटपुट	▪ यह सुनिश्चित करना कि नागरिकों को समय से मुख्य सेवाएँ दी गई हैं ▪ महत्वपूर्ण योजनाओं की उचित निगरानी
परिणाम	▪ नागरिकों के प्रति जवाबदेही और समय से सेवा प्रदायगी को सुनिश्चित करना ▪ स्थानीय गवर्नेंस

8.6 कार्यकलाप : ग्राम सभा, महिला सभा और बाल सभा आयोजन

उद्देश्य	▪ समावेशी और पारदर्शी ग्राम सभा, महिला सभा और बाल सभा के माध्यम से निर्णय लेने की भागीदारी की प्रक्रिया (कम से कम एक तिमाही में)
कार्यनीति	▪ लोगों को भागीदारी प्लेटफार्म के महत्व के बारे में जागरूक करना ताकि वे निर्णय लेने में सक्षम बन सके ▪ महिलाओं और बाल विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए विशेष रूप से महिला ग्राम सभा (महिला सभा) संचालित करना और स्वच्छता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देना ▪ बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन और सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विशेष बाल ग्राम सभा (बाल सभा) संचालित करना ▪ ग्राम सभा में उपस्थित रहने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों को प्रोत्साहित करना ▪ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ग्राम सभा में उपस्थित रहने के लिए भागीदारी करने और महिलाओं को संगठित रहने के लिए प्रोत्साहित करना
योजनाएँ	▪ राज्य का पंचायती राज अधिनियम
आउटपुट	▪ संसाधनों की उपयोगिता के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए सभी निर्णयों और समुदाय के सभी वर्गों की जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर निगरानी
परिणाम	▪ जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संगठनों की सेवाओं का विस्तार करना

अनुबंध-II

ग्राम पंचायत स्तर पर भरा जाने वाला आधारभूत फॉर्मेट

विवरण	ब्यौरा
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	
15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या	
विद्यालय जाने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या	
विद्यालय छोड़ने वाले 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या	
महिला साक्षरता	
आंगनवाड़ी की संख्या	
कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालयों की संख्या	
प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक : विद्यार्थी का अनुपात	
पीएचसी/उप–केंद्रों की संख्या	
दर्ज की गई संस्थागत सेवाओं की संख्या	
मरीजों : डॉक्टरों का अनुपात	
पुस्तकालयों की संख्या	
ग्राम पंचायतों में कुपोषित बच्चों की संख्या	
कम वजन वाले बच्चों की संख्या	
रक्ताल्पता से ग्रस्त महिलाओं की संख्या	
रक्ताल्पता से ग्रस्त बच्चों की संख्या	
आईएमआर	
एमएमआर	
भारत निर्माण स्वयं सेवकों की संख्या	
सूचित किए गए अपराधों की संख्या	
पुलिस थानों की संख्या	
हवलदारों : नागरिकों का अनुपात	
पंजीकृत एफआईआर की संख्या	
शौचालयों वाले परिवारों की संख्या	
बिना शौचालयों वाले परिवारों की संख्या	
कॉमन सेनिटेशन कॉम्प्लेक्स की संख्या	
क्या ग्राम पंचायत भवनों में शौचालय है	
क्या अस्पताल में शौचालय है	
ग्राम पंचायतों में पेड़ों की संख्या	
बीपीएल परिवारों की संख्या	
अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या	
अनुसूचित जनजाति परिवारों की संख्या	
आईएवाई लाभार्थियों की संख्या	
एफआरए लाभार्थियों की संख्या	

एकल महिला द्वारा संचालित परिवार की संख्या	
विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित परिवारों की संख्या	
स्वयं–सहायता समूह (एसएचजी) की संख्या	
सक्रिय एसएचजी की संख्या	
संघों की संख्या	
स्वयं–सहायता समूह (एसएचजी) नेताओं की संख्या	
बैंक खाता धारकों की संख्या	
बैंक शाखाओं से दूरी	
डाक घर से दूरी	
गांवों में एटीएम	
कृषियोग्य भूमि का क्षेत्र	
सिंचाई भूमि का क्षेत्र	
गैर–सिंचाई भूमि का क्षेत्र	
सार्वजनिक भूमि का क्षेत्र	
ग्राम सभा में परती भूमि का क्षेत्र	
ग्राम पंचायत में श्रेणीवार पशुधन	
ग्राम पंचायत में उत्पादन का ब्यौरा 1. कृषि 2. पशुपालन 3. ग्रामोंद्योग	
कार्यात्मक जल निकायों की संख्या	
कार्यात्मक जल निकायों से 2 कि.मी. तक की दूरी वाले क्षेत्र	
मनरेगा के अंतर्गत सक्रिय जॉब कार्ड धारकों की संख्या	
100 दिनों का कार्य पूरा करने वाले सक्रिय जॉब कार्ड धारकों की संख्या	
खाद्य संग्रहरण सुविधाओं की संख्या	
डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट की संख्या	
जिन परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है उनकी संख्या	
उन परिवारों की संख्या, जिनके पास शुद्ध पेयजल के लिए नल नहीं है	
ग्राम पंचायतों में सड़कों की संख्या	
ग्राम पंचायतों में गैर–बारहमासी सड़कों की संख्या	
बिना बिजली कनेक्शन वाले परिवारों की संख्या	
ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी की संख्या	
ग्राम पंचायत में उचित दर की दुकान/पीडीएस आउटलेट्स की संख्या	
ग्राम पंचायत में सीएससी की संख्या	
पेंशन के लिए पात्र परिवारों (वृद्ध, विधवा, विकलांग) की संख्या	
पेंशन प्राप्त न करने वाले परिवारों की संख्या	
राशन कार्ड के लिए पात्र परिवारों की संख्या	
राशन कार्ड रखने वाले परिवारों की संख्या	
आरएसबीआई के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों की संख्या	
एबीआई के अंतर्गत शामिल किए गए परिवारों की संख्या	
शराब बेचने वालों की संख्या	

ग्रामीण विकास विभाग
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
कृषि भवन
नई दिल्ली – 110001
भारत
फोन: +91 11 23383553
www.rural.nic.in
www.sagy.gov.in